लैव्यवस्था

1 तब याहवे ने मूसा को बुलाया और
मिलापवाले तम्बू में बातें कीं और कहा:
2 इस्राएलियों से कहो, कि यदि कोई जन
परमेश्वर के लिए भेंट लाना चाहे, तो अपने
पशुओं के झुण्ड में से लाए। 3 "यदि यह
मेलबलि के लिए ऐसा करता है, तो बिना
किसी खोट का नर पशु हो। वह परमेश्वर
के सामने निवासस्थान के दरवाज़े पर खुद
की इच्छा से भेंट लाए। 4 वह मेलबलि के
सिर पर अपने हाथ रखे। ऐसा करने पर
उसके प्रायश्चित्त के लिए उस भेंट को कबूल
किया जाएगा। 5 वह जवान बैल को प्रभु की
उपस्थिति में मारे। हारून के बेटे[a] उसके
खून को वेदी के चारों ओर छिड़कें, जो
कि मण्डली के निवासस्थान के पास है।
6 वह इस बलि पशु की खाल निकालकर,
उसके टुकड़े-टुकड़े करेगा। 7 हारून के बेटे
या पुरोहित वेदी पर लकड़ी सजा कर आग
लगाएँगे । 8 हारून ही के पुत्र सिर, चर्बी
आदि को वेदी पर रखी लकड़ी के ऊपर
रखने में मदद करेंगे । 9 लेकिन इसके भीतरी
भाग और पैरों को पानी में धोए। पुरोहित
पूरे हिस्से को वेदी पर मेलबलि के रूप में
जलाएगा। यह होमबलि याहवे को सन्तुष्ट
करने वाली हो । 10 यदि उसकी भेंट भेड़
या बकरी के झुण्ड में से हो तो वह एक
निर्दोष नर हो। 11 वह परमेश्वर के सामने
वेदी के उत्तर में उसे मारें और हारून के
बेटे पुरोहित लोग वेदी के आस-पास इसके
खून को छिड़के । 12 इसके सिर और चर्बी
सहित वह इसके टुकड़े कर डालें। पुरोहित
उसे वेदी पर रखी लकड़ी और आग पर
रखे। 13 किन्तु वह अन्दर के हिस्सों और
पैरों को पानी से साफ़ करे। इसे पुरोहित
वेदी पर ही जलाए । यह होमबलि होगा
जिसे परमेश्वर को खुशबू देने वाला होना
चाहिए। 14 यदि परमेश्वर के लिए यह भेंट
चिड़िया की मेलबलि है, तो वह कबूतर या
जवान फ़ाख्ता की हो। 15 पुरोहित इसे वेदी
पर लाए और वहीं उसकी गर्दन तोड़े। वेदी के
आस-पास इसका खून छिड़का जाए। 16 वह
इसके पर नोच डाले और राख की जगह,
वेदी के पूर्व में डाल दे। 17 वह इसके पँख
निकाले लेकिन दो भागों में न बाँटे। पुरोहित
इसे वेदी पर जलाए जहाँ लकड़ी और आग
है। यह होमबलि है। यह परमेश्वर के लिए
खुशबूदार गन्ध देने वाला हवन हो।

2 याहवे परमेश्वर को अन्नबलि की भेंट
चढ़ाने के लिए मैदा लिया जाए और
उस पर तेल उण्डेल कर लोबान रखा जाए।
2 इसके बाद वह हारून के बेटों[b] के निकट
लाए। अन्नबलि के तेल मिले मैदे में से वह
अपनी मुट्ठी भर कर निकाले, ताकि सारा
लोबान उस में आ सके। पुरोहित उन्हें याद
दिलाने वाले हिस्से के लिए वेदी पर जलाए।
इस तरह से यह याहवे के लिए संतुष्ट करने
वाला खुशबूदार हवन ठहरे। 3 जो हिस्सा
अन्नबलि में से बच जाएगा, वह हारून और
उसके बेटों का होगा। यह याहवे के हवनों
में से सब से अधिक पवित्र हिस्सा ठहरेगा।
4 अन्नबलि के लिए जब तुम तन्दूर में पकाए
हुए चढ़ावे को चढ़ाओ तो वह तेल से
सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों या तेल
से चुपड़ी हुयी अखमीरी चपातियों का हो।

[a] 1.5 पुरोहित [b] 2.2 पुरोहितों

5 यदि तुम्हारा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ
अन्नबलि हो तो उसे तेल से सने अखमीरी
मैदे का होना चाहिए। 6 उसके टुकड़े करके
उस पर तेल उण्डेलने से वह अन्नबलि हो
जाएगा। 7 यदि तुम्हारा चढ़ावा कढ़ाई में तला
हुआ अन्नबलि है, तो उसे मैदे से तेल में
बनाना। 8 इन चीज़ों में से किसी चीज़ का
अन्नबलि यदि बना हो, तो उसे याहवे के
निकट ले जाना और जब पुरोहित के पास उसे
लाया जाए, तो वह उसे वेदी के निकट लाए।
9 पुरोहित अन्नबलि में से याद दिलाने वाला
हिस्सा वेदी पर जलाए। इस से वह याहवे के
लिए खुशबूदार हवन हो। 10 अन्नबलि में से
जो बच जाए वह हारून और उसके बेटों का
हो। हवनों में वह याहवे के लिए परम पवित्र
भाग ठहरे। 11 खमीर मिला कर अन्नबलि मत
बनाना कभी भी हवन में खमीर और शहद
न जलाना। 12 याहवे परमेश्वर के लिए तुम
इसे प्रथम उपज की तरह चढ़ाना। लेकिन
वे तृप्त करने वाली खुशबू के लिए वेदी पर
न चढ़ाए जाएँ । 13 अपने सभी अन्नबलियों
को नमकीन स्वाद का रखना। उसे अपने
परमेश्वर के साथ बान्धी वाचा के नमक
बिना न होने देना। तुम अपने सभी चढ़ावों के
साथ नमक भी चढ़ाना। 14 यदि तुम याहवे के
लिए प्रथम फ़सल का अन्नबलि चढ़ाओ, तो
आग में भुनी हरी बालें चढ़ाना। 15 उस में तेल
डाल कर उस पर लोबान रखना और वही
अन्नबलि होगा। 16 पुरोहित मींज कर निकाले
हुए दानों को, तेल को और सारे याद करवाने
वाला हिस्सा करके जला डाले। वही याहवे
के लिए हवन ठहरेगा।

3 मेलबलि चढ़ाने के लिए गाय या बैल
संभव है। चाहे नर हो या मादा, उसे
निर्दोष होना चाहिए। 2 मिलाप वाले तम्बू के
दरवाज़े पर वह अपने सिर पर चढ़ाए जाने
वाले जानवर के ऊपर खून को वेदी के चारों
तरफ़ छिड़क दे। 3 याहवे के लिए हवन, वह
मेलबलि ही में से करे। कहने का मतलब यह
है कि उस चर्बी से जिस से अतड़ियाँ ढँकी
और लिपटी रहती है। 4 दोनों गुर्दे, कमर के
पास की चर्बी और कलेजे के ऊपर की झिल्ली
को वह अलग करें। 5 इसके बाद हारून के
बेटे इन की वेदी के ऊपर, होम बलि पर
जलाएँ । यह याहवे के लिए सन्तुष्ट कर देने
वाला खुशबूदार हवन हो। 6 मेलबलि के लिये
यदि भेड़ या बकरी को लाए, तो चाहे नर हो
या मादा, उसे भी बिना किसी खोट के होना
चाहिए। 7,8 यदि भेड़ का बच्चा है, तो मिलाप
वाले तम्बू के आगे आकर उस पर अपना
हाथ रखे और कुर्बान करे। पुरोहित उसके
खून को वेदी के आस-पास छिड़क दें। 9 चर्बी
भरी मोटी पूँछ को रीढ़ के पास से अलग
करे। अतड़ियों के ऊपर की चर्बी को हटाए।
10 गुर्दों सहित कलेजे के ऊपर की चर्बी भी
अलग करे। 11 याहवे के लिए पुरोहित हवन
के रूप में वेदी पर जलाए। 12 यदि बकरा या
बकरी लाया हो तो उसे चढ़ाए। 13 ऊपर ही
की तरह मिलाप वाले तम्बू के आगे अपने
हाथ पशु पर रखे और कुर्बान करे। हारून
के बेटे खून को वेदी के आस-पास छिड़के ।
14 अतड़ियों पर लिपटी चर्बी हवन के रूप में
चढ़ायी जाए। 15 कमर के पास गुर्दो के ऊपर
की झिल्ली को वह अलग करे । 16 पुरोहित
इसे सुखदायक सुगन्ध के रूप में याहवे के
लिए हवन होने दे। 17 यह तुम्हारे घरों में
पीढ़ी-पीढ़ी तक हमेशा के लिए हो। तुम चर्बी
और खून कभी न खाना।

4 याहवे परमेश्वर ने मूसा से कहा,
2 “इस्राएलियों को बताओ कि जिन
बातों को मैंने करने की मनाही की है,
यदि वे ऐसा काम भूल से कर बैठें, 3 यदि

अलग किया हुआ पुरोहित कुछ ऐसा करे
कि प्रजा अपराधी ठहरे, तो उस गुनाह के
कारण वह एक निर्दोष बछड़ा याहवे के लिए
अपराधबलि करके चढ़ाए। 4 वह उस बछड़े
को मिलाप वाले तम्बू के किवाड़ पर ले
जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और कुर्बान
करे। 5 अभिषिक्त पुरोहित बछड़े के खून में
से थोड़ा ले जाकर तम्बू में दाखिल हो।
6 पुरोहित अपनी उँगली खून में डुबो-डुबो कर
कुछ पवित्रस्थान के मध्य के पर्दे के आगे
याहवे के सामने सात बार छिड़के 7 पुरोहित
उस में से कुछ और लेकर खुशबूदार धूप की
वेदी के सींगो पर जो मिलाप वाले तम्बू में है,
याहवे के सामने लगाए। इसके बाद बछड़े के
सारे खून को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले
तम्बू के दरवाज़े पर है उण्डेल दे। 8 इसके
बाद वह अपराधबलि के बछड़े की सारी
चर्बी को उस से अलग कर ले। अर्थ यह है
कि अतड़ियों पर लिपटी चर्बी, 9 गुर्दों और
कलेजे के ऊपर की झिल्ली व वहाँ लगी सारी
चर्बी को अलग कर ले। 10 यह सभी इसी
तरह करे जैसे मेलबलि कुर्बानी के बछड़े
से अलग किए जाते हैं। पुरोहित इन को
होमबलि की वेदी पर जलाए। 11 लेकिन उस
बछड़े की खाल, पाँव, सिर अतड़ियों, गोबर,
12 और पूरा मांस छावनी से बाहर साफ़ जगह
पर रख कर आग से जलाया जाए । राख
वाली जगह ही पर उसे जलाया जाए। 13 यदि
इस्राएली लोग अनजाने में गुनाह करें और इस
तरह परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ़ करके
दोषी ठहरें। साथ ही यह बात सभी लोगों से
छिपी हो । 14 लेकिन यह बात खुल जाने पर
उन्हें एक बछड़ा अपराधबलि करके चढ़ाना
चाहिए। 15 इस्राएलियों में बुज़ुर्ग लोग अपने
हाथों को मिलाप वाले तम्बू के आगे लाकर
रखे गए बछड़े के ऊपर रखें और कुर्बान करें
। 16 अभिषिक्त पुरोहित बछड़े के खून में से
थोड़ा सा लेकर मिलाप वाले तम्बू में प्रवेश
करे । 17 पुरोहित अपनी उँगली डुबो-डुबो
कर बीच वाले पर्दे के आगे सात बार छिड़के
। 18 उसी खून में से वेदी के सींगो पर तम्बू
में लगाए । शेष बचा हुआ खून होमबलि
की वेदी के पाए पर, मिलाप वाले तम्बू के
दरवाज़े पर उण्डेल दे। 19 बछड़े की सारी
चर्बी निकाल कर वेदी पर जलाए। 20 जिस
तरह से अपराधबलि के बछड़े से किया
था वैसे ही इसके साथ करे। 21 वह बछड़े
को छावनी से बाहर ले जाकर उसी तरह
जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। यह
झुण्ड के लिए अपराधबलि होगा। 22 जब
कभी कोई मुख्य व्यक्ति[a] बुरा कर डाले,
जिस की मनाही परमेश्वर ने की हो। 23 और
यह बात सार्वजनिक हो जाए, तो वह बिना
किसी खोट का बकरा बलि चढ़ाने लाए।
24 अपराधबलि के लिए वह बकरे को वहाँ
लाए जहाँ होमबलि जानवर को लाया जाता
है। वह अपने हाथों को बकरे के सिर पर रखे
और कुर्बान करे। 25 इसके पश्चात् पुरोहित
अपनी उँगली से अपराधबलि पशु के खून में
से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के पाए पर
उण्डेल दे। 26 उसकी सारी चर्बी को मेलबलि
की चर्बी की तरह वेदी पर जला दे। तभी
पुरोहित उसके अपराध के लिए प्रायश्चित्त
करे और वह माफ़ किया जाएगा। 27 यदि
साधारण लोगों में से कोई अनजाने में गलत
करे, और सभी लोगों को उस का ज्ञान हो
जाए। 28 तो वह एक बिना किसी खोट वाली
बकरी कुर्बानी के लिए लाए। 29 वह अपना
हाथ अपराधबलि पशु के सिर पर रखे। वह
होमबलि की जगह पर अपराधबलि पशु का

[a] **4.22** अगुवा

बलिदान करे। 30 पुरोहित या याजक उसके
खून में से अपनी उँगली से कुछ ले और
होमबलि की वेदी के सींग पर लगाए। उसके
सब खून को उसी वेदी के पाए पर उण्डेले।
31 वह उसकी सारी चर्बी को मेलबलि के
जानवर की चर्बी की तरह अलग कर दे।
फिर पुरोहित उसको वेदी पर परमेश्वर के
लिए सुखदायक खुशबू के लिए जलाए । इस
तरह पुरोहित उसके बदले में करे; तब उसे
क्षमा मिल जाएगी । 32 यदि वह अपराधबलि
के लिए भेड़ी का एक बच्चा ले आए तो बिना
किसी कमी का मादा ही होना चाहिए । 33 वह
अपना हाथ अपराधबलि पशु के सिर पर
रखे और उसको अपराधबलि के लिए वही
कुर्बान करे जहाँ होमबलि के लिए पशु कुर्बान
किया जाता है । 34 इसके बाद पुरोहित अपनी
उँगली से अपराधबलि के खून में से थोड़ा सा
लेकर होमबलि की वेदी के सींगो पर लगाए
तथा सारे खून को वेदी के पाए पर उण्डेल दे।
35 वह उसकी सब चर्बी को मेलबलि वाले
भेड़ के बच्चे की चर्बी की तरह अलग करे।
पुरोहित उसे वेदी पर परमेश्वर के हवनों के
ऊपर जलाए। इस तरह पुरोहित उसके गुनाह
के बदले प्रायश्चित्त करे और वह क्षमा किया
जाएगा ।

5 यदि कोई गवाह होकर ऐसा अपराध
करे कि कसम खिलाने के बावजूद वह
छिपी बात ज़ाहिर न करे तो उसे अपने
किए का बोझ उठाना पड़ेगा। 2 किसी अशुद्ध
चीज़ को भी यदि कोई भूले से छू ले, चाहे
वह अशुद्ध बनैले जानवर, घरेलू जानवर या
अशुद्ध रेंगने वाले जीव की लाश है, वह दोषी
ठहरेगा। 3 यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध ठहरायी
गयी किसी भी वस्तु को गलती से छू लेता है
और उसे मालूम हो जाता है तो वह गुनाहगार
ठहरेगा। 4 बिना सोचे समझे यदि कोई अच्छा
या बुरा करने के लिए शपथ खा लेता है,
तो वह दोषी तभी ठहरेगा, जब उसे मालूम
हो जाएगा। 5 जब वह इन बातों में से किसी
बात में दोषी पाया जाए, तब जिस बारे में
उसने गुनाह किया हो, वह उसे मान ले।
6 वह परमेश्वर के सामने अपना दोषबलि
भी लाए। उस दुष्टता के कारण वह एक भेड़
या बकरी अपराधबलि के लिए लाए। तभी
पुरोहित उस दुष्टता के लिए प्रायश्चित्त करे।
7 यदि आर्थिक रीति से वह कमज़ोर हो, तो
दो पण्डुक[a] या कबूतरी के दो बच्चे दोषबलि
के लिए ले आए। उन में से एक अपराधबलि
और दूसरा होमबलि के लिए। 8 वह पहले
उन्हें पुरोहित के पास अपराधबलि के लिए
लाए। वह उस का सिर गले से मरोड़े, लेकिन
अलग न करे। वह उसके खून में से कुछ वेदी
के बाजू पर छिड़के । 9 बचे हुए खून को वेदी
के पाए पर गिराया जाए, वह अपराधबलि
होगा। 10 इसके बाद दूसरे पक्षी का होमबलि
करें। पुरोहित के प्रायश्चित्त करने पर उस का
अपराध माफ़ होगा। 11 यदि वह फ़ाख्ता या
कबूतर भी न दे सकने की दशा में हो, तो
वह एपा का दसवाँ भाग मैदा लाए, लेकिन
बिना तेल डाले और लोबान रखे ऐसा करे ।
यह अपराधबलि होगा। 12 पुरोहित के पास
वह उसे ले जाए, जो उसमें से मुट्ठी भर
याद दिलाने वाला हिस्सा जान कर वेदी पर
परमेश्वर के हवनों के ऊपर जलाए, वह
अपराधबलि होगा । 13 इन बातों में से किसी
भी बात के बारे में यदि कोई अपराध करे,
तो पुरोहित ही उस का प्रायश्चित्त करे, वह
अपराध माफ़ हो जाएगा। इस अपराधबलि
का बचा हुआ पुरोहित का होगा । 14 फिर
परमेश्वर ने मूसा से कहा, 15 “यदि कोई

[a] **5.7** फ़ाख्ता

याहवे परमेश्वर की पवित्र की हुयी चीजों
के बारे में भूले से विश्वासघात करे, तो
वह एक निर्दोष मेंढ़ा दोषबलि के लिए लाए
। उसकी कीमत पवित्रस्थान के शेकेल के
अनुसार उतने ही शेकेल चाँदी का हो, जितना
याजक या पुरोहित ठहराए । 16 जिस पवित्र
वस्तु के बारे में उसने गुनाह किया हो, उसमें
वह पाँचवाँ हिस्सा और बढ़ाकर पुरोहित
को दे । पुरोहित दोषबलि का मेंढ़ा चढ़ाकर
उसके लिए प्रायश्चित्त करे ताकि उस का
गुनाह माफ़ हो सके । 17 याहवे की मना की
हुयी बातों में, यदि कोई अनजाने में चूक
जाए तो वह आरोपी होगा और दण्ड चुकाना
पड़ेगा । 18 उसे एक निर्दोष मेंढ़ा लेना पड़ेगा
। दोषबलि करके पुरोहित के पास लाना
पड़ेगा । उसकी कीमत पुरोहित ही ठहराएगा
। पुरोहित उसकी उस भूल के लिए जो उसने
की, प्रायश्चित्त करेगा और उसे क्षमा मिलेगी।
19 यह दोषबलि होगी, क्योंकि वह इन्सान
याहवे के सामने दोषी ठहरा था।

6 प्रभु परमेश्वर मूसा से बोले, 2 “यदि एक
व्यक्ति धरोहर, लेन-देन या किसी और
आर्थिक मामले में अपने भाई से धोखा-धड़ी
और अन्धेर करे , 3 या पड़ी हुयी चीज़ को
पाकर उसके बारे में झूठ बोले और झूठी
कसम खाए 4,5 तब वह ऐसी चीज़ या दौलत
को पूरा-पूरा लौटा दे। यहाँ तक कि पाँचवा
भाग भी बढ़ाकर भर दे । जिस दिन उस का
दोष सामने आ जाता है, वह उसके स्वामी
को लौटा दे। 6 वह एक निर्दोष मेंढ़ा दोषबलि
के लिए पुरोहित के पास लाए । पुरोहित
द्वारा ठहराया हुआ उस का मूल्य हो । 7 इस
तरह पुरोहित उसके लिए परमेश्वर के समक्ष
अपराध की क्षमा के लिए बलि कराए ।
उसे माफ़ी मिल जाएगी । 8,9 याहवे ने मूसा
से कहा,“हारून और उसके बेटों से कहो,
होमबलि में रात भर लकड़ी जलती रहे और
इसके ऊपर रखी गयी बलि”। 10 पुरोहित
अपने सनी के कपड़े और सनी की जाँघिया
पहने हुए ही वहाँ की राख को वेदी के पास
रखे । 11 उसके बाद कपड़े बदलकर राख
को छावनी के बाहर किसी शुद्ध जगह पर ले
जाए। 12 वेदी की आग कभी बुझने न पाए ।
हर दिन सुबह पुरोहित लकड़ियाँ जला कर
होमबलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा
कर धर दे। उसके ऊपर मेल-बलियों की
चर्बी को जलाया करे। 13 आग वेदी पर हर
समय जलती रहे। 14 अन्नबलि का तरीका यह
है-हारून के बेटे बलि को वेदी के पास लाएँ।
15 वह अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से
मुट्ठी भर और उस पर का सारा लोबान उठा
कर अन्नबलि की याद बनाए रखने के लिए
इस हिस्से को तृप्त करने वाली सुगन्ध के
लिए वेदी पर जलाए। 16 उसमें से जो बाकी
बचे उसे हारून और उसके बेटे खाएँ। बिना
खमीर के उसे पवित्रस्थान में खाया जाना
चाहिए। 17 उसे खमीर के साथ न पकाया
जाए क्योंकि मैंने हव्य में से उसको अपना
हिस्सा होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए
जिस तरह से अपराधबलि और दोषबलि
सामान्य से फ़र्क हैं, वह भी है। 18 हारून के
वंश के सभी पुरुषों को उसे खाना उचित
है। तुम्हारी पीढ़ी-पीढ़ी में याहवे के हवनों
में से यह उनका भाग सदा काल तक बना
रहेगा। जो व्यक्ति उन हवनों को छुए वह
पवित्र ठहरेगा। 19 फिर याहवे ने मूसा से
कहा, 20 जिस दिन हारून का अभिषेक हो,
उस दिन अपने बेटों के साथ याहवे को
यह चढ़ाया जाए। इसका मतलब यह है कि
एपा का दसवाँ हिस्सा मैदा हर अन्नबलि में
चढ़ाए। उसमें से आधा सुबह और आधा
शाम को चढ़ाए। 21 उसे तेल में तवे पर

पकाया जाए। तेल से तर हो जाने पर, उस
अन्नबलि के पके हुए टुकड़े परमेश्वर को
सन्तुष्ट करने के लिए खुशबू ठहरे । 22 हारून
के बेटों में से जो भी उस पुरोहित पद पर
अभिषिक्त हो, वह भी उसी तरह का चढ़ावा
चढ़ाए । याहवे के सामने यह होते रहना
चाहिए । 23 याजक के सारे अन्नबलि भी खाने
के बजाए जलाए जाएँ । 24 फिर परमेश्वर
याहवे ने मूसा को यह निर्देश दिया 25 "हारून
और उसके बेटों को बताओ कि अपराध
बलि का तरीका यह है जहाँ होमबलि पशु
का करते हैं वहीं अपराधबलि पशु भी किया
जाए । 26 अपराधबलि चढ़ाने वाला पुरोहित
उसे मिलाप वाले तम्बू के आँगन में खाए
। 27 उसके गोश्त से जो कुछ छू जाए वह
विशेष होगा। यदि उस का खून किसी कपड़े
पर पड़ जाए तो उसे धो डालना । 28 उस
मिट्टी के बर्तन में जिस में वह पकाया जाए,
तोड़ दिया जाए । यदि पीतल के बर्तन का
इस्तेमाल हो तो उसे मांजा जाए और पानी से
धोया जाए। 29 पुरोहितों में से सभी उसे खा
सकेंगे। 30 जिस अपराधबलि पशु के खून में
से कुछ भी खून मिलाप वाले तम्बू के अन्दर
पवित्रस्थान में प्रायश्चित्त करने को पहुँचाया
जाए, उस का मांस न खाया जाए। उसे आग
में जला देना चाहिए ।

7 दोषबलि का तरीका यह है । 2 जिस
जगह पर होमबलि का जानवर मारा
जाता है, उसी जगह दोषबलि के जानवर
को भी मारें । पुरोहित उसके खून को
वेदी के पास छिड़के। 3 उसकी मोटी पूँछ
को और अतड़ियाँ की चर्बी को चढ़ाए ।
4 दोनों गुर्दे और उनके ऊपर और कमर
की चर्बी, गुर्दों और कलेजे की झिल्ली, इन
सभी को वह अलग करे । 5 पुरोहित इन्हें
वेदी पर परमेश्वर के लिए हवन करे, तभी
वह दोषबलि होगा । 6 पुरोहितों या याजकों
में सभी पुरुष उन्हें खा सकते हैं । यह
पवित्रस्थान में खाया जाए क्योंकि यह पवित्र
है। 7 दोनों अपराधबलि या दोषबलि - में
पुरोहित प्रायश्चित्त के लिए चढ़ाने के बाद
खुद ले ले । 8 होमबलि पशु की खाल को भी
पुरोहित ले ले। 9 जो पुरोहित अन्नबलि चढ़ाता
है चाहे वह तंदूर, कड़ाही या तवे पर पके,
वह सब उसी का हो जाता है। 10 अन्नबलि
चाहे तेल में तर हो या सूखा, हारून के बेटों
को बराबर -बराबर मिले। 11 याहवे के लिए
मेलबलि का नियम यह है 12 धन्यवाद के
लिए चढ़ाने के लिए धन्यवाद बलि के साथ
तेल से सनी हुयी अखमीरी रोटियाँ, तेल से
चुपड़ी अखमीरी रोटियाँ और तेल से सनी
मैदे की रोटियाँ जो तेल में तर हों, चढ़ाए।
13 अपने धन्यवाद वाले मेलबलि के साथ ही
खमीर रोटियाँ भी चढ़ाए। 14 ऐसे एक चढ़ावे
में से वह एक रोटी याहवे को उठाने की भेंट
करके चढ़ाए। वह मेलबलि खून के छिड़कने
वाले पुरोहित की होगी। 15 बलिदान चढ़ाने
के दिन धन्यवाद वाले मेलबलि का मांस
खाया जाए। प्रातःकाल तक उस में से कुछ
भी बचा न रहे। 16 यदि उसके बलिदान का
चढ़ावा मन्नत का या अपनी इच्छा का हो,
तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया
जाए, उसी दिन खाया भी जाए। बचा हुआ
दूसरे दिन खाया जा सकता है। 17 कुर्बानी के
मांस में से तीसरे दिन तक जो कुछ रह जाए,
उसे आग में जला देना। 18 उसके मेलबलि
के मांस में से अगर कुछ तीसरे दिन खाया
जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वह घिनौना काम होगा। उसमें से खाने वाला
उस का अपराधी ठहरेगा। 19 किसी अशुद्ध
चीज़ से किसी मांस के छू लेने से उसे खाना
नहीं चाहिए, बल्कि आग से नष्ट कर देना

होगा। केवल शुद्ध व्यक्ति ही मेलबलि का
मांस खाए । 20 जो अशुद्ध होकर याहवे के
मेलबलि के गोश्त में से कुछ खाता है, तो
उसे मार डाला जाए। 21 यदि कोई व्यक्ति
किसी अशुद्ध वस्तु को छू कर परमेश्वर के
मेलबलि के जानवर के मांस में से खाए तो
उसे भी नाश किया जाए चाहे वह कैसी ही
अशुद्ध या घृणित वस्तु क्यों न हो। 22 फिर
याहवे ने मूसा से कहा, 23 "इस्राएलियों से
ऐसा कहो कि वे बैल, बकरियों, भेड़ों की
चर्बी न खाएँ।" 24 खुद से मर जाने वाले या
दूसरे पशु से फाड़ दिए जाने वाले पशु को मत
खाना, हाँ उसकी चर्बी का इस्तेमाल किसी
काम में कर लेना । 25 यदि कोई ऐसा करेगा
या ऐसे पशु को प्रभु के लिए बलि करे, वह
व्यक्ति मार डाला जाए। 26 अपने घर में न
पक्षी का न पशु का खून खाना। 27 जो इन्सान
ऐसा करे, वह जीवित न रहने पाए । 28 फिर
मूसा से परमेश्वर ने यह भी कहा, 29 "जो
व्यक्ति परमेश्वर के लिए मेलबलि चढ़ाता
है वह उसी में से याहवे के लिए भेंट लाए।
30 अपने हाथों से वह हव्य को अर्थात् छाती
सहित चर्बी को ले आए ताकि छाती हिलाने
की भेंट करके याहवे के सामने लायी जाए।
31 पुरोहित चर्बी को वेदी पर जलाए, लेकिन
छाती हारून और उसके बेटों की होगी।
32 फिर तुम अपने मेल-बलियों में से दाहिनी
जाँघ को भी उठाने की भेंट करके पुरोहित
को देना। 33 हारून के बेटों में से जो मेलबलि
के खून और चर्बी को चढ़ाए, दाहिनी जाँघ
उसी का हिस्सा होगा। 34 क्योंकि इस्राएलियों
के मेल-बलियों में से हिलाने की भेंट की
छाती और उठाने की भेंट की जाँघ को मैंने
याजक हारून और उसके बेटो को दिया है।
35 जिस दिन हारून उसके बेटे परमेश्वर के
नज़दीक पुरोहित पद के लिए लाए गए उसी
दिन याहवे परमेश्वर के हव्यों में से उनका
यही अभिषिक्त हिस्सा ठहराया गया था।
36 अर्थात् जिस दिन उन्हें अलग किया गया,
उसी दिन यह आदेश दिया कि उन्हें इस्राएली
हर रोज़ ये भाग देते रहे। पीढ़ी-पीढ़ी तक
उनका यह हक था। 37 होमबलि, अन्नबलि,
अपराधबलि, दोषबलि पुरोहितों के संस्कार
बलि और मेलबलि का यही प्रबन्ध किया
गया। 38 जब परमेश्वर ने सीनै पहाड़ के
पास के जंगल में मूसा को आदेश दिया कि
इस्राएली किस-किस तरह की भेंट चढ़ाएँगे,
तभी यह सब भी बताया।

8 याहवे ने मूसा को निर्देश दिया, हारून
और उसके बेटों को, कपड़ों को
अभिषेक के तेल को, अपराधबलि के बछड़े
को, दोनों मेंढ़ों को, अखमीरी रोटी की
टोकरी को लेने के बाद 3 पूरी मण्डली को
तम्बू के दरवाज़े पर इकट्ठा करे 4 मूसा ने
याहवे के कहने के अनुसार ही किया ।
सभी लोग मिलाप वाले तम्बू के दरवाज़े
पर इकट्ठे हुए 5 तब मूसा लोगों से बोला,
"जो काम याहवे ने दिया है, वह यही हो
।" 6 मूसा ने हारून और उसके बेटों को
अपने पास बुलाकर, पानी से स्नान करवाया ।
7 हारून को उसने कुर्ता पहनाया, कमरबन्द
लपेटा, बागा पहनाया और उस पर एपोद
लगाया । उसके ऊपर कमरबन्द को लपेटा।
8 तब उसने सीनाबन्द को उसके ऊपर लगा
कर सीनाबन्द में ऊरीम और तुम्मीम लगाए।
9 एक पगड़ी उसने उसके सिर पर रख दी।
पगड़ी के सामने सोने के पवित्र मुकुट को
लगाया । 10 मूसा ने इसके बाद तेल लेकर
तम्बू और उस में की हर चीज का अभिषेक
कर दिया। 11 उसमें से उसने कुछ लिया
और वेदी के ऊपर सात बार छिड़क दिया।
उसने वेदी और उसके सभी बर्तनों को, हौज़

और उसके पायदान को पवित्र करने के
लिए उनका अभिषेक किया। 12 तब उसने
अभिषेक का थोड़ा सा तेल हारून के सिर पर
डाल कर उसे अलग किया। 13 फिर मूसा ने
हारून के बेटों को बुलवाकर करते पहनाए,
पटुका बान्धा और टोपी पहनायी। 14 इसके
बाद अपराधबलि का बछड़ा लाया गया ।
हारून और उसके बेटों ने बछड़े के सिर
पर हाथ रखे । 15 मूसा ने उसे कुर्बान किया,
उसके खून को उंगली से लेकर वेदी के चारों
सींगों पर लगा कर वेदी को विशेष काम के
लिए अलग किया । बचे हुए खून को वेदी
के आधार पर डाला ताकि उसे पवित्र कर
प्रायश्चित्त करे। 16 मूसा ने अतड़ियों के ऊपर
की चर्बी, कलेजे पर की झिल्ली, दोनों गुर्दों
और उसकी चर्बी को लेकर वेदी पर होम
किया । 17 बछड़े, उसके चमड़े, मांस और
गोबर को उसने छावनी के बाहर आग में
जलाया। 18 होमबलि का मेंढ़ा ले आने के
बाद हारून और उसके बेटों ने अपने हाथ
उस पर रखे 19 उसे कुर्बान करके मूसा ने खून
को वेदी के चारों तरफ़ छिड़का । 20 मेंढ़े
को मूसा ने टुकड़ों में बाँट दिया । उसके
सिर, टुकड़ों तथा चर्बी को होम किया ।
21 अतड़ियों और पैरों को पानी से धोने के
बाद उसने पूरे मेंढ़े को वेदी पर चढ़ा दिया ।
यह सन्तुष्ट करने वाली खुशबू थी । यह याहवे
के लिए अग्निबलि भी थी। 22 तब दूसरा
मेंढ़ा लाया गया । फिर से हारून ओर उसके
बेटों ने अपने हाथ उस पर रखे। 23 मूसा
ने उसे कुर्बान किया और उसके खून में से
थोड़ा सा लेकर हारून के दाहिने कान की
लौ पर तथा दाहिने हाथ और दाहिने पैर के
अँगूठों पर कुछ खून लगाया । 24 हारून के
बेटों को पास बुलाकर मूसा ने हर एक के
दाहिने कान की लौ पर तथा दाहिने हाथ और
दाहिने पैर के अँगूठों पर कुछ खून लगाया ।
25 उसने चर्बी, मोटी पूँछ, अतंड़ियों के ऊपर
लगी चर्बी, कलेजे के ऊपर की झिल्ली सहित
दोनों गुर्दों की चर्बी तथा जांघ को ले लिया
। 26 अखमीरी रोटी की टोकरी में से एक
अखमीरी रोटी लेकर तेल से सनी रोटी का
एक फुलका और चपाती निकाल कर उसे
चर्बी और दाहिनी जाँघ के ऊपर रख दिया
। 27 इन सब को फिर हारून और उसके
बेटों के हाथों पर रखा और याहवे के सामने
हिलाने वाली भेंट करके चढ़ाया । 28 मूसा
ने इन्हें उनके हाथों से लेकर होमबलि के
साथ वेदी पर होम किया। वे सुख देने वाली
खुशबू के लिए संस्कार बलि थे । याहवे के
लिए यह आगबलि थी । 29 सीने को मूसा ने
लिया और याहवे के सामने हिलाने वाली भेंट
करके चढ़ाया । यह संस्कार बलि के मेंढ़े
में से मूसा का हिस्सा था। 30 इसलिए मूसा
ने अभिषेक के तेल और वेदी पर जो खून
था उसमें से थोड़ा लेकर हारून और उसके
बेटों और उनके कपड़ों पर छिड़क दिया।
इस तरह उसने हारून और उसके कपड़ों
को तथा उसके बेटो और उनके कपड़ों को
पवित्र किया। 31 तब मूसा ने हारून और
उसके बेटों से कहा, मिलाप वाले तम्बू के
दरवाज़े पर उस गोश्त को उबालो। उसे
संस्कार बलि की टोकरी की रोटी के साथ
वहीं खाओ। 32 जो गोश्त और रोटी बचे, उसे
आग में जलाया जाए। 33 मिलाप वाले तम्बू
के दरवाज़े से सात दिन तक बाहर मत जाना
। ऐसा तब तक जब तक तुम्हारे संस्कार के
दिन पूरे न हो जाएँ। 34 जिस तरह से आज
किया गया है, वैसा ही भविष्य में किया जाना
चाहिए । 35 इसलिए तुम मिलाप वाले तम्बू
के दरवाज़े पर सात दिन तक रात-दिन ठहरे
रहना । तुम याहवे की बात मानना ताकि तुम्हें

मौत निगल न ले । 36 इस तरह हारून और
उसके बेटों ने वह सब कुछ किया जिस का
आदेश याहवे ने मूसा के द्वारा दिया था ।
9 मूसा ने हारून और उसके बेटों को
और बुज़ुर्गो को बुलवाकर, हारून से
कहा, 2 “एक निर्दोष बछड़ा अपराधबलि
के लिए और एक निर्दोष मेंढ़ा होमबलि के
लिए लाओ । 3 इस्राएलियों से यह भी कहो,
“तुम अपराधबलि के लिए एक बकरा,
होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक
भेड़ का बच्चा लो। इन्हें एक साल का और
निर्दोष होना चाहिए। 4 परमेश्वर को चढ़ाने
के लिए जहाँ तक मेलबलि का सवाल
है, एक बैल, एक मेंढ़ा और तेल से सने
एक मैदे का एक अन्नबलि भी लो, क्योंकि
आज परमेश्वर याहवे अपने आप को प्रगट
करेंगे। 5 आज्ञानुसार मण्डली ने किया और
परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुयी। 6 तब
मूसा बोला “यही करने का आदेश परमेश्वर
ने दिया है और तुम याहवे की महिमा का
तेज देख सकोगे।” 7 मूसा ने हारून से कहा,
“याहवे की आज्ञा के मुताबिक वेदी के पास
जाकर अपने अपराधबलि और होमबलि को
चढ़ाकर अपने और सारी जनता के लिए
प्रायश्चित्त करना” 8 इसलिए हारून ने वेदी
के पास जाकर अपने अपराधबलि के बछड़े
की कुर्बानी चढ़ायी। 9 हारून के बेटे खून
को उसके पास ले गए। उसने अपनी उंगली
खून में डुबोयी और वेदी के सींगो पर खून
लगाया। बाकी बचे खून को उसने वेदी के
पाए पर उण्डेल दिया। 10 अपराधबलि की
चर्बी, गुर्दों और कलेजे पर की झिल्ली को
उसने वेदी पर जलाया। 11 उसने गोश्त और
खाल को छावनी के बाहर आग में जलाया।
12 फिर होमबलि पशु का बलिदान किया।
हारून के बेटों ने खून को उसके हाथ में
दिया। जिसे उसने वेदी पर चारों और छिड़क
दिया। 13 तब उन्होंने होमबलि के जानवर को
टुकड़े -टुकड़े करके सिर सहित उसके हाथ
में दिया, जिसे उसने वेदी पर जला दिया।
14 उसने अतड़ियों और पाँवों को धोकर वेदी
पर होमबलि के ऊपर जलाया। 15 तब उसने
लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस
अपराधबलि के बकरे को जो उनके लिए
था, लिया और उसे कुर्बान किया। पहले की
तरह उसे भी अपराधबलि करके चढ़ाया।
16 होमबलि को भी पास ले जाकर उसने
बताए तरीके से चढ़ाया। 17 अन्नबलि को
भी पास ले जाकर उस में से मुट्ठी भर वेदी
पर जलाया। यह प्रातःकाल के होमबलि के
अलावा था। 18 जो मेलबलि लोगों के लिए थे
- जैसे बैल और मेंढा, उनकी भी कुर्बानी की
गयी । हारून के बेटो ने खून को उसके हाथ
में दिया । उसने उस खून को वेदी पर चारों
तरफ़ छिड़का। 19 उन्होंने बैल की चर्बी को
और मेंढ़े में से मोटी पूँछ को और जिस चर्बी
से अतड़ियाँ ढकी रहती हो उसको, और गुर्दो
सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके
हाथ में दिया। 20 उन्होंने चर्बी को छातियों
पर रखा और वह चर्बी वेदी पर जलायी
। 21 लेकिन छातियों और दाहिनी जाँघ को
हारून ने मूसा के कहने के अनुसार हिलाने
की भेंट के लिए याहवे के सामने हिलाया ।
22 तब हारून ने लोगों की तरफ़ हाथ बढ़ाकर
उन्हें आशीष दी । अपराधबलि, होमबलि
और मेल-बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर
आया । 23 तब मूसा और हारून मिलाप वाले
तम्बू में गए और लोगों को आशीष दी। इसी
वक्त याहवे परमेश्वर की महिमा प्रगट हुयी।
24 याहवे परमेश्वर की ओर से आग निकली
तथा चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म
कर दिया। यह देख कर लोगों ने खुशी से नारे

लगाए। उन्होंने मुँह के बल गिर कर दण्डवत् भी किया ।

10 हारून के बेटों में नाबाद और अबीहू थे। उन्होंने अपने धूपदानों में आग भर कर, धूप डाल कर याहवे परमेश्वर को अर्पित करना चाहा, जिस की मन्जूरी उन्हें परमेश्वर से नहीं मिली थी। 2 परमेश्वर की ओर से आग निकली और उन्हें भस्म कर दिया । 3 यह देख मूसा ने हारून को याद दिलाया कि यह परमेश्वर कह चुके थे, कि मेरे पास आने वाला मुझे पवित्र जानें और मुझे आदर-सत्कार दें। यह सुन हारून खामोश रहा । 4 तब मूसा ने हारून के चाचा उजीएल के बेटे मीशाएल और एलसाफ़ान को बुलाकर कहा, “पास में आकर अपने भतीजों को पवित्र स्थान से उठा कर छावनी के बाहर ले जाओ,” 5 उन्होंने मूसा की बात मान कर अंगरखों समेत उन्हें छावनी के बाहर डाल दिया। 6 फिर मूसा ने हारून के बेटे, एलीआज़र और ईतामार से कहा, “तुम लोग न अपने सिर के बाल बिखेरो, न कपड़े फाड़ो । ऐसा न हो कि परमेश्वर का गुस्सा भड़क उठे और तुम लोग भी मर जाओ। इस्राएल के सभी लोगों को इस बात के लिए दुःखी होना चाहिए कि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया था। 7 तुम लोग भी मिलाप वाले तम्बू के दरवाज़े के बाहर कदम मत रखना, ऐसा न हो कि तुम भी नाश हो जाओ । परमेश्वर के अभिषेक का तेल तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। और उन लोगों ने मूसा के कहने के अनुसार किया। 8,9 तब प्रभु हारून से बोले, “जब तम्बू में जाओ तो शराब या और तेज मादक द्रव्य मत पीना। तुम्हारा बेटे भी ऐसा न करें। सावधानी न बरतने से तुम लोग मर जाओगे। आने वाली पीढ़ियाँ में भी इस बात को माना जाना चाहिए। 10 ताकि तुम पवित्र-अपवित्र और शुद्ध-अशुद्ध में अन्तर रख सको, और 11 परमेश्वर द्वारा बतायी गयी विधियों की इस्राएली मान सकें। 12 फिर मूसा ने हारून और उसके बचे हुए दोनों बेटों ईतामार और एलीआज़र से कहा, “याहवे के हव्य में से बचें। अन्नबलि को वेदी के निकट बिना खमीर खाओ, वह सब से अधिक पवित्र है। 13 वह याहवे के हव्य में से तुम्हारा और तुम्हारे बेटों का अधिकार है, उसे पवित्र जगह ही खाया जाता है। 14 तुम और तुम्हारी सन्तान हिलायी हुयी भेंट की छाती और उठायी हुयी भेंट की जाँघ को किसी शुद्ध जगह पर खाना वह तुम्हारे और तुम्हारी सन्तान के अधिकार ही में है । 15 चर्बी के हव्यों सहित उठायी हुयी जाँघ और हिलायी हुयी छाती परमेश्वर के सामने हिलाने के लिए हैं । ये हिस्से परमेश्वर याहवे के आदेश के अनुसार हमेशा तुम्हारी सन्तान के लिए हैं। 16 फिर अपराधबलि के बकरे की जाँच पड़ताल करने पर मूसा को मालूम हुआ कि वह जलाया जा चुका है। इसलिए उसे एलीआजार और ईतमार पर गुस्सा आया। 17 तुमने अपराधबलि को पवित्र जगह पर क्यों नहीं खाया। यह तुम्हारे परमेश्वर की ओर से लोगों के गुनाहों के बदले दिए जाने के लिए था। 18 देखो, उस का खून पवित्रस्थान में नहीं लाया गया। उचित यह था कि तुम मेरी बात मान कर उसके गोश्त को पवित्रस्थान में खाते। 19 हारून बोला “आज उन्होंने परमेश्वर के सामने अपराधबलि और मेलबलि चढ़ायी है और मेरे साथ यह सब हो रहा है। यदि आज मैंने

अपराधबलि का उपभोग किया होता, तो
क्या परमेश्वर ने इसे कबूल किया होता?
20 यह सब सुन कर मूसा शान्त हो गया।

11 याहवे परमेश्वर ने मूसा और हारून
को हिदायत दी, 2 कि वे इस्राएलियों
की बताएँ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले
किन जानवरों को वे खा सकते हैं नदियों।
3 सब से पहले उन जानवरों को जिस के
खुर चिरे हुए होते हैं और वे पागुर करते
हैं। 4 लेकिन ऐसे भी जानवर हैं, जिन के
खुर फटे तो होते हैं, लेकिन उन्हें न खाया
जाए - जैसे ऊँट। 5 शापान को भी न खाया
जाए, हालांकि पागुर करता है। 6 खरहा भी
न खाया जाए । 7 सूअर भी मत खाना। 8 इन
सभी के गोश्त का न छूना, न खाना। 9 समुद्र
या नदियों के जन्तुओं में से जिन के पंख
और चोयंटे होते है उन्हें खाया जा सकता
है 10 पानी के प्राणियों में से जितने प्राणी
बिना पँख और बिना छिलके के समुन्दर और
नदियों में रहते है, वे सब नहीं खाए जाने
चाहिए। 11 उनका गोश्त तुम न खाना और न
लोथ को छूना। 12 वे सभी प्राणी तुम्हारे लिए
वर्जित हैं, जो पानी में रहा करते हैं, लेकिन
पँख और चोयंटे नहीं होते हैं। 13 उकाब,
हड़फोड़, कुरर। 14 चील, तरह तरह के बाज़।
15 भिन्न - भिन्न तरह के कौए। 16 शुतुरमुर्ग,
तखमास, जलकुक्कुट, और बाज़ 17 हबासिल,
हाड़गील, उल्लू 18 राजहंस, धनेश, गिद्ध
19 लगलग, तरह-तरह के बगुले, टिटिहरी
और चमगादड़ 20 ऐसे पँख वाले कीड़े जिन
के चार पैर होते हैं और चलते हैं, न खाए
जाएँ। 21 चार पाँव के बल चलने वाले, रेंगने
वाले और पंख वाले और वे जो टाँगों से
कूदते-फाँदते हैं, उन्हें खाया जा सकता है।
22 ये हैं टिड्डियाँ, फनगे, झींगुर और टिड्डे ।
23 सभी रेंगने वाले, पँख वाले, चार पाँव वाले
कीड़े तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। 24 इन को खाने
से तुम अशुद्ध हो जाओगे। जो इन्सान इन के
मरे शरीर को भी छुए वह शाम तक अपवित्र
ठहरेगा। 25 ऐसा इन्सान इन के शव में से
कुछ यदि उठाए तो अपने कपड़े धोए और
शाम तक अशुद्ध ठहरे। 26 जो जानवर फटे
खुर के हैं, लेकिन न तो बिल्कुल फटे खुर
के और न पागुर करने वाले हैं, वे तुम्हारे
लिए अशुद्ध है। उनको छूने वाला भी अशुद्ध
ठहरेगा। 27 चार पाँव के सहारे चलने वालों में
से जितने पँजों के बल पर चलते हैं, वे तुम्हारे
लिए वर्जित हैं। उनको छूने वाला शाम तक
अशुद्ध ठहरेगा। 28 उनकी मृत देह को उठाने
वाले को अपने वस्त्र धोने चाहिए। उन्हें शाम
तक अशुद्ध समझा जाएगा। 29 पृथ्वी पर रेंगने
वाले प्राणियों में ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं-
जैसे नेवला, चूहा, गोह 30 छिपकली, मगर,
टिकटिक, सांडा और गिरगिटान। 31 रेंगने
वालों प्राणियों में से ये तुम्हारे लिए अशुद्ध
हैं। इन के शव को छूने वाला भी शाम तक
अशुद्ध रहे। 32 इन में से किसी की लोथ यदि
किसी चीज़ पर पड़ जाए तो वह भी अशुद्ध
ठहरे। वह लकड़ी का बर्तन, कपड़ा, खाल,
बोरा ही हो सकता है। उसे पानी में डाल कर
रखा जाए 33 यदि मिट्टी के इन बर्तनों में से
ये जन्तु गिर जाएँ, तो उसे तोड़ देना। 34 यदि
खाने या पीने की चीज़ हो तो वह भी बेकार
ठहरेगी। 35 यदि इन प्राणियों में से किसी का
शरीर तंदूर या चूल्हे पर पड़े तो उसे तोड़
देना। 36 सोता या तालाब, जिस में पानी एकत्र
रहता है वह अशुद्ध न ठहरेगा। लेकिन छूने
वाला अशुद्ध ठहरेगा। 37 यदि इनकी लोथ
में का कुछ किसी बोने वाले बीज पर गिरे,
तो वह अशुद्ध ठहरेगा । 38 यदि बीज पर
पानी डाले और पीछे लोथ में का उस पर
पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे।

39 फिर जिन जानवरों को खाने का आदेश
तुम्हें दिया गया है यदि उन में से कोई जानवर
मरे तो कोई उनकी लोथ छुए शाम तक अशुद्ध
कहलाएगा। 40 उसकी लोथ में से जो कोई
कुछ खाए वह अपने कपड़े धोए और शाम
तक अशुद्ध रहे। जो उसकी लोथ में से कुछ
खाए, वह अपने कपड़े धोए जो उसकी लोथ
को उठाएगा उसे भी अपने कपड़े धोने पड़ेंगे।
41 इस पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी प्राणी
का उपयोग न करना। 42 पेट या चार पाँव
पर चलने वाले और रेंगने वाले या ज़्यादा
पाँव वाले जन्तुओं को न खाना। 43 उन्हें
खा कर घृणित मत बन जान न अपवित्र हो
जाना। 44 मैं तुम्हारा याहवे परमेश्वर पवित्र
हूँ इसलिए तुम शुद्ध और पवित्र बने रहो।
इसलिए रेंगने वाले जन्तु द्वारा स्वयं को
अशुद्ध न करना । 45 मैं वही हूँ जो तुम्हें
मिस्र की गुलामी से इसलिए निकाल लाया
ताकि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँ। इसलिए तुम
पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ । 46 यह
सारा प्रबन्ध जानवरों, चिड़ियों, पानी में रहने
वाले और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव
के बारे में है, 47 जिस से लाभदायक और
नुकसानदायक याखाने लायक और न खाने
लायक प्राणियों के बीच अन्तर किया जा
सके।

12 याहवे ने मूसा से कहा; 2 इस्राएलियों
को बताओ, जो महिला बच्चे को
जन्म देती है उसे सात दिन अशुद्ध समझा
जाएगा, जिस तरह महिला धर्म के समय
समझा जाता है। 3 लड़के का खतना आठवें
दिन किया जाना चाहिए । 4 फिर वह महिला
अपने अशुद्धता के खून में तैंतीस दिन रहे ।
जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न
हो जाएँ । तब तक वह किसी पवित्र चीज़
को न छुए और न पवित्रस्थान में दाखिल
हो। 5 यदि उसके लड़की पैदा हुयी हो, तो
उसकी ऋतुमती की अशुद्धता चौदह दिन की
हो। वह छियासठ दिन तक अपनी अशुद्धता
वाले खून में रहे। 6 उसके शुद्ध हो जाने के दिन
पूरे होने के बाद वह होमबलि के लिए एक
साल का भेड़ का बच्चा और अपराधबलि
के लिए कबूतरी का एक बच्चा या फ़ाख्ता
मिलाप वाले तम्बू को दरवाज़े पर पुरोहित
के पास लाए। 7 तब याहवे के सामने पुरोहित
भेंट चढ़ाकर प्रायश्चित्त करे । तब वह अपने
खून बहने की अशुद्धता से मुक्त हो जाएगी।
8 यदि बहुत गरीब हो, दो-दो फ़ाख्ते या
कबूतरी के दो बच्चे, एक होमबलि और दूसरा
अपराधबलि के लिए दे। पुरोहित उसके लिए
प्रायश्चित्त करेगा और वह शुद्ध ठहरेगी।

13 फिर याहवे ने मूसा और हारून से
कहा, 2 जब किसी व्यक्ति की देह
की खाल में सूजन, पपड़ी या दाग हो या कोढ़
का सा चिन्ह हो, तो उसे हारून या उसके
बेटों में से किसी के पास लाए। 3 उसके देखने
पर यदि उसके रोएँ सफ़ेद हो गए हैं और
तकलीफ खाल से नीचे तक पहुँच गयी हो
तो जान ले कि यह कोढ़ है। उसे देख कर
पुरोहित उसे अशुद्ध ठहराए। 4 यदि वह दाग
उसकी खाल में सफ़ेद सा दिखे, लेकिन खाल
के भीतर तक न हो और वहाँ के बाल भी
सफ़ेद से न दिखें, तो पुरोहित उसे सात दिन
तक बन्द रखे 5 सातवें दिन पुरोहित फिर से
जाँचे। यदि स्थिति वैसी ही हो और फैली न
हो तो पुरोहित उसे सात दिन और बन्द रखे।
6 पुरोहित फिर से सातवें दिन जाँच करे, यदि
उसकी चमक कम दिखे और फैली न हो, तो
उसे अशुद्ध ठहराया जाए, इसलिए कि उसकी
खाल में पपड़ी है। इसके बाद अपने कपड़े
धोकर वह शुद्ध ठहरे। 7 पुरोहित के जाँचने के
बाद जिस में उसे शुद्ध ठहराया गया था, वह

पपड़ी यदि देह पर ज़्यादा फैल जाए, तो फिर
से पुरोहित को दिखाया जाए 8 यदि पुरोहित
को दिखता है, पपड़ी का फैलाव बढ़ गया
है, तो उसे अशुद्ध ठहराया जाए, क्योंकि वह
कोढ़ ही होगा। 9 यदि कोढ़ की सी बीमारी
किसी जन को हो जाए, तो उसे पुरोहित के
पास पहुँचाया जाए 10 देखने पर यदि सूजन
में सफ़ेदपन दिखता हो और वहाँ के बाल
में भी सफ़ेदी दिखे और सूजन में बिना खाल
का मांस हो, 11 तो पुरोहित समझ ले कि यह
पुराना कोढ़ है। इसलिए उसे अशुद्ध ठहराया
जाए, उसे बन्द न रखे, क्योंकि वह अशुद्ध है।
12 यदि कोढ़ इतना फैल गया हो कि सिर से
पैर तक दिखे, तो उसे अशुद्ध समझा जाए।
13 ध्यान से देखने के बाद पुरोहित को यदि
मालूम पड़े कि सफ़ेदीपन जा चुकी है, तब
उसे शुद्ध घोषित करे। 14 लेकिन यदि खाल
हटी हुयी और मांस दिखे, तो वह अशुद्ध
ठहरे। 15 ऐसा देख कर पुरोहित उसे 'अशुद्ध'
ऐलान करे, क्योंकि वह त्वचा की बीमारी
कोढ़ है। 16 यह वह खाल रहित मांस फिर से
सफ़ेद सा हो जाए, तो वह व्यक्ति पुरोहित के
पास जाए। 17 पुरोहित उसे देखे और यदि वह
बीमारी फिर से आ गयी हो, तो उसे शुद्ध ही
समझा जाए । 18 यदि किसी के फोड़ा होने
के बाद वह ठीक हो गया हो 19 फोड़े की
जगह में सूजन या लाली दिखे, तो पुरोहित
को दिखाया जाए। 20 पुरोहित के देखने पर
यदि वह खाल से गहरा हो और बाल भी
सफ़ेद हो रहे हों, तो पुरोहित उस व्यक्ति
को कोढ़ के कारण अशुद्ध ठहराए। 21 यदि
पुरोहित को उसमें सफ़ेदी नहीं दिखे, और
वह खाल से गहरी नहीं है, तो पुरोहित उसे
सात दिन तक बन्द रखे 22 यदि वह रोग पूरे
शरीर पर फैल जाए तो पुरोहित उस इन्सान
को अशुद्ध घोषित करे, क्योंकि वह कोढ़ की
बीमारी है। 23 लेकिन यदि वह दाग फैलने के
बजाए सीमित रहे, तो वह फोड़े का चिन्ह
है । याजक या पुरोहित उसे शुद्ध ठहराए।
24 यदि किसी की खाल में जलन का ज़ख्म
हो और उस ज़ख्म में चर्महीन दाग लाली लिए
हुए सफ़ेद ही हो जाए 25 यदि पुरोहित को
उस दाग के बाल सफ़ेद दिखें और खाल से
ज़्यादा गहरायी तक हो, तो वह कोढ़ है। उसे
अशुद्ध घोषित किया जाना चाहिए। 26 लेकिन
यदि उसमें सफ़ेद रोएँ नहीं है और खाल के
नीचे तक नहीं गया है और उस का चमकना
कम है, तो उसे सात दिन तक बन्द रखा
जाए। 27 सातवें दिन पुरोहित उसे देखे यदि
वह देह पर फैल रहा हो तो, कोढ़ है और
व्यक्ति अशुद्ध है। 28 यदि वह चिन्ह अपनी
जगह पर है और फैला नहीं है, तो वह जल
जाने के कारण सूजा हुआ है। पुरोहित उसे
शुद्ध ठहराए। 29 यदि किसी पुरुष या महिला
के सिर पर या पुरुष की दाढ़ी में विकार है,
30 तो पुरोहित यदि उसे खाल से गहरा पाता है
और भूरे पतले बाल, तो उसे अशुद्ध समझा
जाए। वह विकार से हुआ अर्थात् सिर या
दाढ़ी का कोढ़ है 31 यदि पुरोहित सेंहुए के
रोग को देखे, और वह मांस तक नहीं पहुँचा
है और उसमें काले-काले बाल नहीं हैं तो
वह सेंहुए के रोगी को सात दिन तक बन्द
रखे 32 पुरोहित के सातवें दिन देखने पर यदि
वह फैला हुआ न हो और भूरे-भूरे बाल न हों
और सेंहुआ त्वचा से नीचे तक न गया हो।
33 तब यह व्यक्ति मुंडा हो जाए, लेकिन जिस
जगह से हुआ है, वहाँ नहीं। पुरोहित इस को
सात दिन तक बन्द रखे। 34 सेंहुए को याजक
सातवें दिन देखे। यदि वह देह पर न फैला
हो और मांस तक न गया हो, तो पुरोहित
उसे शुद्ध ठहरा दे। वह व्यक्ति अपने कपड़ों
को धोकर शुद्ध हो जाए। 35 यदि उसके शुद्ध

ठहराए जाने के बाद सेंहुआ फैलने लगे 36 तो
याजक भूरे बाल न ढूँढे, वह मनुष्य अशुद्ध
समझा जाए। 37 अगर उसकी निगाह में वह
सेंहुआ जैसा का तैसा है और उसमें काले
बाल हों, तो यह मान लिया जाए कि सेंहुआ
ठीक हो चुका है। वह व्यक्ति पुरोहित द्वारा
शुद्ध घोषित किया जाए। 38 यदि किसी पुरुष
या महिला की खाल पर सफ़ेद दाग हो।
39 तो पुरोहित के देखने पर वे कम सफ़ेद
हों, तो वह दाद है उसे अशुद्ध न समझा
जाए 40 बाल झड़े व्यक्ति को अशुद्ध न समझा
जाए। 41 माथे के बाल भी झड़ने पर कोई बात
नहीं 42 लेकिन यदि चन्दुए सिर या माथे पर
लाली है तो वह कोढ़ हो सकता है। 43 यदि
सिर या माथे पर बाल हटी जगह लाली के
साथ सूजन है, जिस तरह की कोढ़ में होती
है, 44 तो वह कोढ़ ही है, उसे अशुद्ध ठहरा
देना चाहिए। 45 जिसे इस तरह की बीमारी है,
उसके कपड़े फटे और सिर के बाल बिखरे
हैं। वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढाँक कर
अशुद्ध-अशुद्ध चिल्लाया करे। 46 जब तक वह
बीमारी उसे रहे, वह अशुद्ध कहलाएगा। वह
अकेला छावनी के बाहर रहे। 47 जिस कपड़े
में कोढ़ की बीमारी हो चाहे वह ऊन से
बना हो या सन से। 48 वह रोग चाहे उस
सन या ऊन के कपड़ों में हो या चमड़े या
उस से बनी किसी चीज़ में 49 यदि ऐसा लाल
या हरे रंग सा हो, तो समझ जाना कि यह
कोढ़ है। यह ज़रूरी है कि उसे पुरोहित देखे।
50 देखने के बाद पुरोहित उस रोग ग्रसित
वस्तु को सात दिन तक बन्द रखे। 51 सातवें
दिन वह निरीक्षण करे, यदि वह फैल गयी
हो तो यह समझ लेना चाहिए कि वह गलने
वाला कोढ़ है। तब से वह वस्तु अशुद्ध ठहरे।
52 उस वस्तु को जला देना चाहिए 53 यदि
पुरोहित को लगता है कि वह बीमारी वस्तु में
फैली नहीं है 54 तो उस वस्तु को धोया जाए
और सात दिन तक फिर से बन्द रखा जाए।
55 धोने के बाद पुरोहित उसे देखे और यदि
बीमारी का रंग परिवर्तित न हुआ हो और
न वह फैली हो, तो उसे अशुद्ध समझ कर
जलाना चाहे वह अन्दर, चाहे ऊपर हो, तौभी
खा डालने वाली है। 56 यदि पुरोहित देखता
है कि उसके धोने के बाद बीमारी की चमक
कम हो गयी है तो वह फाड़ कर निकाले
57 यदि वह इसके बावजूद दिखायी दे तो यह
समझ लेना कि वह फूट के निकली है और
उसे आग में जला डालना 58 यदि उसे धोने पर
वह खत्म हो जाए तो दूसरी बार धोकर शुद्ध
ठहरायी जाएँ। 59 ऊन या सन के कपड़े या
चमड़े की किसी चीज को शुद्ध-अशुद्ध ठहराने
का यही तरीका है।

14 फिर याहवे परमेश्वर ने मूसा से
कहा, 2 कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति के
लिए यह योजना है। उसे पुरोहित के पास
जाना चाहिए। 3 छावनी के बाहर पुरोहित[a]
जाकर उस से मिले और देखे कि उस का
कोढ़ ठीक हुआ है या नहीं 4 फिर शुद्ध ठहराए
जाने के लिए दो शुद्ध जीवित पक्षी, देवदार
की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और
जूफ़ा को ले 5 पुरोहित इस बात का आदेश दे
कि एक पक्षी बहते हुए पानी के ऊपर मिट्टी
के बर्तन में कुर्बान किया जाए। 6 तब वह
ज़िन्दा पक्षी, देवदार की लकड़ी और लाल
रंग के कपड़े और जूफ़ा इन सभी को लेकर
एक साथ ऊपर बलि किया गया है,डुबा
दे। 7 कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर सात
बार छिड़क कर शुद्ध ठहराया जाए। इसके
बाद जीवित पक्षी को मैदान में छोड़े। 8 शुद्ध
ठहराया जाने वाला व्यक्ति अपने कपड़ों को

[a] **14.3** याजक

धोए और बाल मुड़वा कर पानी से नहाए, तभी वह शुद्ध माना जाएगा इसके बाद वह छावनी में आने पाए। वह अपने तम्बू से सात दिन बाहर रहे। 9 सातवाँ दिन आने पर सिर दाढ़ी और भौंहों के बाल मुड़वाए। वह सभी अंगों को मुण्डन कराए और अपने कपड़ों को धोए, नहाए तभी वह शुद्ध समझा जाएगा। 10 दो निर्दोष भेड़ के बच्चे, एक वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची, अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/10 अंश मैदा और लोज भर तेल वह आठवें दिन लाए। 11 शुद्ध ठहराने वाला पुरोहित इन वस्तुओं सहित उस शुद्ध होने वाले इन्सान को याहवे के सामने मिलाप वाले तम्बू के दरवाज़े पर खड़ा करे। 12 तब पुरोहित भेड़ के एक बच्चे को लेकर दोषबलि के लिए उसे और तेल को पास लाए। इन दोनों को हिलाने की भेंट लिए याहवे के सामने हिलाए । 13 जहाँ वह अपराधबलि और होम बलि जानवरों का बलिदान किया करेगा। अर्थात् पवित्र स्थान में भेड़ के बच्चे को कुर्बान करे । जिस तरह से अपराधबलि पुरोहित का अपना हिस्सा होगा, वैसा ही दोषबलि भी उस का हिस्सा ठहरेगा, जो कि परमपवित्र है। 14 फिर पुरोहित दोषबलि के खून में से कुछ ले ले । शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अँगूठों पर लगा दे । 15 इसके बाद पुरोहित लोज भर तेल में से थोड़ा सा ले और अपने बाएँ हाथ की हथेली पर डाल ले । 16 अपने दाहिने हाथ की उंगली से पुरोहित अपनी बाईं हथेली पर के तेल में डुबो कर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से सात बार छिड़के 17 हथेली पर रह जाने वाले तेल को पुरोहित उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अँगूठों पर दोषबलि के खून के ऊपर लगाए । 18 पुरोहित की हथेली पर शेष रह जाने वाले तेल को वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाले। फिर पुरोहित उसके लिए याहवे की उपस्थिति जान कर प्रायश्चित्त करे । 19 पुरोहित अपराधबलि को चढ़ाए और उस व्यक्ति के लिए जो अपनी अशुद्धता से साफ़ होना चाहता हो प्रायश्चित्त करे और इसके बाद होम बलि जानवर की कुर्बानी करके 20 अन्नबलि के साथ वेदी पर चढ़ाए। पुरोहित उसके लिए प्रायश्चित्त करे, तब वह शुद्ध ठहराया जाएगा। 21 लेकिन यदि वह गरीब है, तो भेड़ का बच्चा दोषबलि के लिए और तेल से सना एपा का दसवाँ भाग मैदा अन्नबलि के रूप में और लोज भर तेल लाए। 22 दो फ़ाख्ते या कबूतरी के बच्चे लाए । एक अपराधबलि के वास्ते और दूसरा होमबलि के लिए। 23 आठवें दिन वह इन सब को अपनी शुद्धता के लिए मिलाप वाले तम्बू के दरवाज़े पर पुरोहित के सामने लाए । 24 तब पुरोहित उस लोज भर तेल और दोषबलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए हिलाए । 25 दोषबलि के भेड़ के बच्चे की कुर्बानी की जाए । उसके खून में से पुरोहित थोड़ा सा लेकर शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अँगूठों पर लगाए । 26 फिर पुरोहित उसी तेल में ही कुछ अपने बाएँ हाथ की हथेली पर डाले 27 अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाईं हथेली के तेल में से थोड़ा सा सात बार छिड़क दे। 28 अपनी हथेली के तेल में से याजक थोड़ा सा शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अँगूठों पर

दोषबलि के खून की जगह पर लगाए। 29 जो
तेल पुरोहित की हथेली पर शेष रह जाए
वह उसे शुद्ध ठहरने वाले के लिए याहवे
के सामने प्रायश्चित्त करने के लिए उसके
सिर पर डाले। 30 पुरोहित के हाथ का तेल
शुद्ध ठहरने वाले के लिए याहवे के सामने
प्रायश्चित्त करने के लिए उसके सिर पर डाल
दे। 31 जो पक्षी वह इन्सान लाता है, उसमें
ये एक अन्नबलि और दूसरे को होमबलि के
लिए इस्तेमाल किया जाए। 32 यह उन गरीब
लोगों के लिए है, जिन्हें कोढ़ की बीमारी
हो जाती है। 33 याहवे मूसा से कहने लगे,
34 “कि कनान पहुँचने पर वहाँ यदि मैं किसी
घर के कोढ़ को दिखाऊँ, 35 तो घर मालिक
उसे पुरोहित को बताए 36 पुरोहित आदेश दे
कि उस घर को पहले खाली किया जाए, फिर
वह उस में दाखिल हो । 37 घर की दीवारों
पर यदि गहरी हरी-हरी या लाल-लाल लकीरों
की तरह यह दिखे 38 तो पुरोहित उस घर को
सात दिन तक बन्द कर दे 39 पुरोहित जाँच
करने सातवें दिन आए 40 उसके फैल जाने
पर, वह उन्हें निकाले और नगर से बाहर
किसी गंदी जगह फेंक दे। 41 दीवारों को वह
खुरचवाए, खुरचन को भी गंदी जगह फेंक दे।
42 नए पत्थर लगवाए पुरानों को फेंक दे और
ताजे गारे से जुड़वाई करवाए 43 यदि इसके
बाद भी यदि वह बीमारी फूटती है, तो जान
जाए कि यह गलने वाला कोढ़ है ओर अशुद्ध
है। 44 तब पुरोहित अन्दर आकर जाँच करे,
यदि उसे दिखे कि दाग घर में फैल चुका
है, तो उस घर में गलने वाला कोढ़ है। वह
घर अशुद्ध ठहरेगा। 45 फिर वह गारे सहित
पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवाकर गिरा
दे। उन सब चीज़ों को शहर के बाहर फिकवा
दे। 46 जब तक घर बन्द रहे, यदि कोई उसमें
जाए तो अशुद्ध ऐलान किया जाए। 47 उसमें
सोने वाला, अपने कपड़े धोए वहाँ खाने
वाला अपने कपड़ों को धोए। 48 पुरोहित की
फिर से जाँच के बाद यदि रोग फिर से नहीं
आया है तो वह उसे शुद्ध होने की घोषणा कर
दे। 49 दो पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल रंग
का कपड़ा और जूफ़ा लाकर 50 एक पक्षी
को बहते पानी के ऊपर मिट्टी के बर्तन में
कुर्बान करे। 51 देवदार की लकड़ी, लाल रंग
के कपड़े, जूफ़ा और ज़िन्दा पक्षी आदि को
लेकर कुर्बान किए हुए पक्षी के खून में और
बहते पानी में डुबा दे और उस घर पर सात
बार छिड़के। 52 इस तरह से उस घर को
पवित्र किया जाए। 53 तब वह ज़िन्दा पक्षी
को नगर के बाहर मैदान में छोड़ दे। इस
तरह से वह घर के लिए प्रायश्चित्त करके
घर को शुद्ध ठहराए। 54 सब तरह के कोढ़
की बीमारी, सेहुए 55 कपड़े, घर के कोढ़
56 सूजन और पपड़ी और दाग के बारे में
57 शुद्ध और अशुद्ध ठहराए जाने के नियम
यही है।

15 मूसा और हारून से परमेश्वर याहवे
ने कहा 2 कि वे इस्राएलियों को
बताएँ कि व्यक्ति प्रमेह की वजह से अशुद्ध
ठहरेगा। 3 खून बहने और रूक जाने से कोई
फ़र्क नहीं पड़ता। 4 जिस बिछौने पर वह लेटे
और जिस चीज़ पर वह बैठे, वह भी अशुद्ध
ठहरेगी। 5 उसके बिस्तर को छूने वाला नहाए
और अपने कपड़ों को धोए। वह शाम तक
अशुद्ध रहेगा। 6 जिस किसी के द्रव्य बहता
हो, उसके किसी बैठने की जगह यदि कोई
बैठ जाता है, वह अशुद्ध समझा जाए। 7 प्रमेह
के रोगी को यदि कोई छू ले तो उसे भी
अपने कपड़ों को धोना होगा और नहाना
होगा। शाम तक वह अशुद्ध रहेगा। 8 प्रमेह
का रोगी यदि किसी पर थूक दे, तो वह
व्यक्ति भी कपड़े धोए और नहाए। 9 सवारी

की किसी भी वस्तु पर प्रमेह के रोगी के
बैठने से वह अशुद्ध ठहरेगी। 10 उसके नीचे
रखी गयी वस्तु को छूने वाला भी शाम तक
अशुद्ध ठहरे। जो ऐसी वस्तु को अपने ऊपर
उठाए वह भी शाम तक अशुद्ध माना जाए।
वह अपने कपड़ों को धोए और स्नान करे।
11 प्रमेह वाला व्यक्ति जिस किसी को बिना
हाथ धोए छू ले, उसे शाम तक अशुद्ध माना
जाए। वह कपड़ों को पानी से धोए और नहाए
भी। 12 प्रमेह ग्रसित रोगी जिस मिट्टी के बर्तन
को छुए, उसे तोड़ देता । यदि बर्तन लकड़ी
का हो, तो धो लेने से काम चल जाएगा।
13 प्रमेह का रोग ठीक हो जाने पर शुद्ध ठहरने
के सात दिन गिन लिए जाएँ। उनके समाप्त
होने पर वह बहते पानी से कपड़ों को धोए
और बहते पानी से नहाए। 14 आठवें दिन वह
दो फ़ाख्ते या कबूतरी के दो बच्चे मिलाप वाले
तम्बू के दरवाज़े पर परमेश्वर के सम्मुख
पुरोहित को दे। 15 पुरोहित उन में से एक
को अपराधबलि और दूसरे को होमबलि
के लिए कुर्बान करे। पुरोहित उसकी प्रमेह
की बीमारी के कारण परमेश्वर के सामने
प्रायश्चित्त करे। 16 “किसी पुरुष के वीर्य के
निकल जाने पर वह शाम तक अशुद्ध समझा
जाए। अपनी सारी देह को वह पानी से धोए।
17 खाल या कपड़े जिस पर भी वीर्य गिरा
हो, उसे धोया जाए। 18 जब कभी पति-पत्नी
यौन सम्बन्ध करें तो पानी से नहाएँ। 19 जब
कोई महिला ऋतुमती हो तो सात दिन तक
अशुद्ध ठहरे। उसे छूने वाला भी शाम तक
अशुद्ध रहे 20 उसके अशुद्ध रहने के समय
तक जिस-जिस वस्तु पर वह बैठे या लौटे
वह अशुद्ध ठहरे। 21 यदि कोई उसके बिस्तर
को छुए तो वह भी शाम तक अशुद्ध रहे, उसे
अपने कपड़े शुद्ध जल से धोने चाहिए और
नहाना चाहिए। 22 वह महिला जिस वस्तु पर
बैठी हो उसे छूने वाला अशुद्ध हो जाएगा।
इसलिए शाम तक अशुद्ध रहेगा। उसे अपने
वस्त्र धोने पड़ेंगे और नहाना पड़ेगा। 23 यदि
बिछौने या किसी और वस्तु पर जहाँ बैठी
हो, खून लग गया हो, तो छूने वाला साँझ
तक अशुद्ध रहेगा । 24 ऐसे समय में यदि पुरुष
उस से यौन सम्बन्ध करे और उसके खून लग
जाए तो वह सात दिन तक भी अशुद्ध ठहरे
। जिस किसी बिस्तर वह लेटेगी, वह अशुद्ध
हो जाएगा । 25 फिर किसी महिला के मासिक
धर्म के समय से अधिक दिन तक यदि खून
जारी रहे तो ऐसी हालत में वह अशुद्ध ही
रहेगी । 26 इस दौरान वह जहाँ-जहाँ लेटेगी या
बैठेगी वे चीजें अशुद्ध मानी जाएगी । 27 जो
व्यक्ति उन चीज़ों को छुए वह भी अशुद्ध हो
जाएगा वह शाम तक अशुद्ध गिना जाएगा।
वह नहाए और कपड़े धोए। 28 मासिक धर्म
की अशुद्धता से मुक्त होने पर वह सात दिन
गिने। उन दिनों के बाद वह शुद्ध ठहरे।
29 आठवाँ दिन आ जाने पर वह दो फ़ाख्ते
या कबूतरी के बच्चे लेकर मिलाप वाले
तम्बू के दरवाज़े पर पुरोहित के पास जाए
30 पुरोहित एक को अपराधबलि और दूसरे
को होमबलि के लिए चढ़ाए । पुरोहित उसके
लिए मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण
प्रायश्चित्त करे। 31 इस तरह से इस्राएलियों
को उनकी अशुद्धता से अलग रखा जा
सकेगा। डर यह है कि अपनी अशुद्धता के
कारण मर न जाएँ। 32 प्रमेह के रोगी,और
जिस का वीर्य बह जाता हैऔर मासिक धर्म
की अशुद्धता, धातुरोग की अशुद्धता और
अशुद्ध महिला से सम्भोग आदि के लिए यही
नियम है। 33 वह महिला जो मासिक धर्म की
वजह से अशुद्धता के कारण बीमार है, और
वह आदमी या महिला जिसकी देह से कुछ
बहाव हो, या वह आदमी जो मासिक धर्म

वाली से यौन सम्बन्ध रखे, इन सभी के लिए
यह हिदायत है।

16 हारून के दो बेटों के मर जाने के
बाद से परमेश्वर ने बातचीत की,
2 "अपने भाई हारून को बताना कि वह
बक्से के ऊपर के प्रायश्चित्त वाले ढक्कन के
आगे, बीच वाले पर्दे के भीतर पवित्रस्थान
में हमेशा दाखिल न हो। ऐसा करने से हो
सकता है कि वह मर जाए । प्रायश्चित्त वाले
ढक्कन के ऊपर मेरी उपस्थिति बादल के
रूप में होवेगी 3 दाखिल होने के लिए वह
अपराधबलि के लिए एक बछड़े को और
होमबलि के लिए एक मेंढ़े को लाए। 4 वह
सन का अंगरखा, कपड़े, जाँघिया, पगड़ी
आदि पहने दाखिल हो। नहाने के बाद ही
वह इन्हें पहने। 5 इसके बाद अपराधबलि
के लिए दो बकरे, होमबलि के लिए एक
मेंढ़ा वह इस्राएलियों से ले। 6 अपराधबलि
के बछड़े को वह खुद के लिए और अपने
परिवार के लिए चढ़ाए और प्रायश्चित्त करे।
7 अपराधबलि के बछड़े को वह खुद के
लिए और अपने परिवार के लिए चढ़ाए और
प्रायश्चित्त करे। 8 दोनों बकरों के लिए हारून
चिट्ठी डाले । एक परमेश्वर के लिए और
दूसरी अजाजेल के लिए । 9 याहवे के नाम
की चिट्ठी जिस बकरे पर निकलेगी, उसी
को हारून अपराधबलि के लिए कुर्बान करे
10 उस बकरे को याहवे के सामने जीवित
खड़ा किया जाए जिस पर अजाजेल की चिट्ठी
निकलेगी । उसी को जंगल में छोड़ दिया
जाए। 11 अपने लिए और अपने कुटुम्ब के
प्रायश्चित्त के लिए हारून उस अपराधबलि
के बछड़े को जो उसी के लिए होगा, पास
लाए। वह उसे ही बलिदान करे। 12 याहवे
के सामने की वेदी के जलते हुए कोयलों से
भरे धूपदान को लेकर अपनी दोनों मुट्ठियों
में खुशबूदार धूप भर कर बीच वाले पर्दे के
अन्दर लाए। 13 उसे आग में डाले, जिस से
कि धूप का धुआँ, साक्षीपत्र के ऊपर के
प्रायश्चित्त के ढक्कन के ऊपर छा जाए। यदि
ऐसा नहीं किया गया तो वह मर जाएगा।
14 फिर वह बछड़े के खून में से कुछ ले
और पूरब की तरफ़ प्रायश्चित्त के ढकने के
ऊपर अपनी उंगली से छिड़के इसके बाद
अपनी उंगली से खून लेकर ढक्कन के सामने
सात बार छिड़के। 15 साधारण जनता के
लिए अपराधबलि का जो बकरा होगा, उसे
कुर्बान करके उसके खून को बीच वाले पर्दे
के अन्दर ले आए। जैसे उसने बछड़े के खून
से किया था, वैसा ही वह बकरे के खून से
भी करे। 16 वह इस्राएलियों की तरह-तरह
की अशुद्धता, अपराध और अपराध की
वजह से पवित्रस्थान के लिए प्रायश्चित्त करें।
मिलाप वाला तम्बू जो उनकी तरह-तरह की
अशुद्धता के बावजूद रहता है, उसके लिए
भी वैसा किया जाए। 17 प्रायश्चित्त करने के
लिए जब हारून पवित्रस्थान में दाखिल हो,
तब से लेकर जब तक वह स्वयं और स्वयं
के कुटुम्ब और सारे इस्त्रालियों के लिए
प्रायश्चित्त कर बाहर न निकले तब तक कोई
इन्सान मिलाप वाले तम्बू में न रहे। 18 इसके
बाद निकल कर वह वेदी के पास जाए और
उसके लिए प्रायश्चित्त करे। वह बछड़े और
बकरे, दोनों के खून में से लेकर वेदी के चारों
कोनों के सींगो पर लगाए। 19 उस खून में से
थोड़ा उँगली से सात बार उस पर छिड़के
और इस्राएलियों को अशुद्धता से मुक्त कर
पवित्र करे। 20 मिलाप वाले तम्बू पवित्रस्थान
और वेदी के लिए प्रायश्चित्त कर चुकने के
बाद, वह ज़िन्दा बकरे को लाए। 21 अपने
दोनों हाथों को ज़िन्दा बकरे पर रख कर
इस्राएलियों के सभी बुरे कामों, अपराधों को

हारून माने। और उनको बकरे के सिर पर
रख कर उसे किसी व्यक्ति के हाथ जो इस
कार्य के लिए दिलचस्पी दिखाए, जंगल में
भिजवा दे। 22 उस बकरे पर उन लोगों के
सारे अनुचित काम लदे होंगे । वह उन्हें
किसी जंगल में ले जाएगा । इसलिए वह
व्यक्ति उस बकरे को जंगल में छोड़ दे।
23 इसके बाद हारून को मिलाप वाले तम्बू
में आना है । उसे सन के कपड़े उतार देने
पड़ेंगे। 24 इसके बाद उसे किसी पवित्र जगह
में नहाना है और वापस अपने कपड़े पहनने
हैं। फिर बाहर जाकर अपना होमबलि और
इस्त्रालियों के होमबलि को चढ़ाकर खुद
के लिए और इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित्त
करे। 25 उसे वहीं वेदी पर अपराधबलि की
चर्बी को जलाना होगा। 26 जो व्यक्ति बकरे
को अजाजेल के लिए छोड़कर आएगा ।
उसे भी अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, नहाना
पड़ेगा तभी व छावनी में आ सकेगा। 27 जिस
अपराधबलि का बछड़े और बकरे का खून
पवित्रस्थान में प्रायश्चित्त के लिए पहुँचाया
जाए, वे दोनों छावनी के बाहर पहुचाए जाएँ।
उनका गोश्त, उनकी खाल, गोबर आदि को
आग में जलाया जाए। 28 जलाने वाला भी
अपने कपड़े धोए, नहाए और तब छावनी
में आए। 29 लम्बे समय के लिए यह तुम्हारे
लिए होगा कि सातवें महीने के दसवें दिन
को अपने आप को दीन करो। उस दिन चाहे
कोई तुम्हारे अपने देश का हो, या परदेशी,
कोई काम न करे। 30 उस दिन तुम्हें पवित्र
करने के लिए प्रायश्चित्त किया जाएगा। तुम
सब अपराधों से पवित्र होगे। 31 यह तुम्हारे
लिए परम विश्राम का दिन हो। उस दिन तुम
अपने आप को दुख देना। 32 जिस व्यक्ति
का उसके पिता की जगह अभिषेक और
संस्कार किया जाए, वह पुरोहित प्रायश्चित्त
किया करे। 33 वह सनी के पवित्र कपड़ों
को पहनकर पवित्रस्थान और मिलाप वाले
तम्बू और वेदी के लिए प्रायश्चित्त करे ।
उसे पुरोहितों और दूसरे लोगों के लिए भी
प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। 34 हर साल एक
बार तुम्हारे सारे गुनाहों के लिए प्रायश्चित्त
किया जाए। याहवे के इस आदेश के अनुसार
हारून ने किया।

17 याहवे ने मूसा से कहा, 2 "हारून,
उसके बेटों ओर सभी इस्राएलियों
को बताओ कि मेरा आदेश क्या है 3 इस्राएल
में से कोई इन्सान, बैल, भेड़ के बच्चे या
बकरी क्यों न हो, उसे छावनी में या छावनी
के बाहर मारे। 4 मिलाप वाले तम्बू के
दरवाज़े पर याहवे के स्थान के सामने उन्हें
यदि अर्पण न करे, तो वह खून बहाने का
अपराधी होगा। खून बहाने वाला बर्बाद
किया जाना चाहिए। 5 ऐसा इसलिए क्योंकि
इस्राएली जो कुर्बानियाँ करने के लिए पशु
को खुले आम मार डालते हैं, वे उन्हें मिलाप
वाले तम्बू के किवाड़ पर पुरोहित के पास,
याहवे के लिए मेलबलि करें। 6 पुरोहित रक्त
को मिलाप वाले तम्बू के दरवाज़े पर याहवे
की वेदी पर छिड़के। उसकी सारी चर्बी को
तृप्त करने वाली खुशबू के लिए जलाया जाए।
7 बकरों की कुर्बानियाँ चढ़ाना जो दुष्टात्माओं
के लिए है,व्यभिचार की तरह है। वे कभी
ऐसा न करें।यह सदा काल का नियम होगा।
8 "तुम उनको बताओ कि इस्राएल के घराने
के किसी सदस्य या उनके मध्य रहने वाले
परदेशियों में से कोई व्यक्ति जो मेलबलि या
होमबलि चढ़ाए, 9 उसे मिलाप वाले तम्बू के
दरवाज़े पर परमेश्वर के लिए चढ़ाने के लिए
न आए, तो उसे जान से मार डाला जाए।
10 फिर इस्राएल के कुटुम्ब के लोगों में से या
उनके साथ रहने वाले परदेशियों में से कोई

व्यक्ति भी क्यों न हो, जो यदि खून भी खाता
हो, उसे मैं खत्म कर डालूँगा। 11 देह की जान
खून में रहती है उसे न वेदी पर चढ़ाया जाए,
क्योंकि जान[a] के कारण रक्त ही से प्रायश्चित्त
होता है। 12 इसीलिए इस्राएलियों से मैंने कह
रखा है कि वे और उनके बीच रहने वाला
खून का उपभोग न करे। 13 शिकार करके
खाने लायक किसी जानवर को यदि पकड़े
तो उसके खून को उण्डेल कर मिट्टी से ढाँक
देना। 14 खून ही देह का जीवन है, इसलिए
मेरा आदेश यह है किसी पशु के खून को
मत खाना जो ऐसा करे उसे मौत के घाट
उतारा जाए। 15 देशी हो या परदेशी, लाश या
फाड़े हुए जानवर का गोश्त जो इन्सान खाए,
वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। वह अपने कपड़े
धोए और नहाए। 16 यदि वह ऐसा नहीं करता
है तो वह खुद सज़ा भुगतेगा।

18 मूसा परमेश्वर ने कहा,
2 "इस्राएलियों को यह बताओ कि
मैं उनका याहवे -परमेश्वर हूँ 3 जैसे काम
तुम मिस्र में कर रहे थे, न करना। कनान
जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों
की तरह भी तुम काम न करना। उनके
रीति-रिवाजों को मत मानने लगना। 4 मेरे
नियमों और आज्ञाओं का पालन करना। मैं
तुम्हारा याहवे परमेश्वर हूँ। 5 इसलिए मेरे
नियमों और विधियों को मानना । जो इन्सान
ऐसा करेगा, उस का प्रतिफल भी पाएगा।
मैं याहवे हूँ। 6 अपने निकट रिश्तेदार की
देह के कपड़ों को न हटाना, मैं याहवे हूँ।
7 अपनी माँ की देह के कपड़ों को भी न
हटाना 8 अपनी सौतेली माँ के साथ भी ऐसा
बर्ताव न करना क्योंकि वह तो तुम्हारे पिता
का शरीर है। 9 अपनी सगी या सौतेली बहन
को निर्वस्त्र मत करना। 10 अपनी पोती या
नातिन की देह पर से कपड़े न उतारना।
उनकी देह मानो तुम्हारी दी है। 11 सौतेली
बहन जो तुम्हारे पिता से पैदा हुयी है, उस
का तन मत उघाड़ना। 12 तुम्हारी फूफी
तुम्हारी नज़दीकी रिश्तेदार है, उसको नंगा
मत करना। 13 अपनी मौसी की देह का
आदर करना वह तुम्हारी माँ की नज़दीकी
है। 14 अपनी चाची के शरीर को निर्वस्त्र मत
करना। 15 अपनी बहू का तन मत उघाड़ना,
वह तुम्हारे बेटे की पत्नी है। 16 तुम्हारे भाई
की पत्नी, भाभी के तन का आदर करना।
17 किसी महिला और उसकी बेटी दोनों ही
का तन मत उघाड़ना उसकी पोती या नातिन
को अपनी पत्नी की तरह मत कर लेना।
वे तुम्हारे निकट की है। 18 अपनी पत्नी
के जीवित रहते अपनी साली को मत रख
लेना। 19 पत्नी के मासिक धर्म के समय तुम
सम्भोग न करना। 20 अपने भाई बन्धु की
पत्नी से यौन सम्बन्ध करके अशुद्ध मत हो
जाना। 21 मोलेक[b] के लिए अपने किसी
बच्चे को होम करके मत चढ़ाना। इस तरह
से अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र न
करना । मैं याहवे हूँ। 22 पत्नी को छोड़
किसी और महिला या लड़की के साथ यौन
सम्बन्ध न करना। न ही पुरुष के साथ यौन
सम्बन्ध करना। 23 किसी जानवर के साथ
यौन सम्बन्ध करने की कोशिश न करना,
न ही कोई औरत किसी पशु के साथ यौन
सम्बन्ध करे। 24 जिन राष्ट्रों को मैं खाली
करने पर हूँ, वहाँ इसी तरह के लोग हैं।
उन्होंने अपने आप को अशुद्ध कर लिया है।
25 उनकी धरती[c] अशुद्ध हो चुका है। उन्हें
उनकी बुराई की सज़ा मिलेगी। इन लोगों
का देश अपने लोगों को उगल देता है।
26 इसलिए यह ज़रूरी है कि तुम लोग मेरी

[a] **17.11** प्राण [b] **1.21** देवता [c] **18.25** मुल्क

विधियों -नियमों और आज्ञाओं को मानते रहना। बाहर के लोग और तुम लोग दोनों ही ऐसी बातों से बचे रहना। 27 जो देश मैं तुम्हें देने वाला हूँ, उसमें ऐसे घिनौने काम करके वहाँ के लोगों ने उसे अशुद्ध कर दिया है। 28 ऐसा न हो कि जैसा पहले के लोगों के साथ हुआ था, तुम्हारे साथ हो और तुम उगल दिए जाओ। 29 ऐसे गन्दे काम करने वाले लोगों को नष्ट किया जाए। 30 मेरे दिए आदेश का पालन करना । वहाँ रहने वाले लोगों की घृणित जीवन शैली को न अपनाना। इस वजह से तुम अशुद्ध मत हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ।

19 फिर याहवे ने मूसा से कहा,
2 "इस्राएलियों को पवित्र जीवन बिताने के बारे में कहो, क्योंकि मैं भी तुम्हारा परमेश्वर हूँ और पवित्र हूँ। 3 अपने माता-पिताजी की इज्ज़त करना और मेरे विश्राम दिनों का पालन भी करना, मैं तुम्हारा परमेश्वर याहवे हूँ। 4 तुम देवताओं की मूर्तियाँ ढाल कर न बनाना, न ही उनकी उपासना करना, मैं तुम्हारा परमेश्वर याहवे हूँ। 5 मुझे खुश कर देने वाले मेलबलि मुझे देना। 6 उस का गोश्त उसी दिन और दूसरे दिन खाया जाए । फिर भी बच जाने पर वह तीसरे दिन जला दिया जाए। 7 तीसरे दिन खाने पर यह गलत होगा। 8 ऐसा करने से व्यक्ति याहवे की पवित्र वस्तु को अपवित्र ठहराता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसे उसके लोगों के बीच से बर्बाद किया जाए। 9 अपने खेत की फ़सल काटते समय कोने-कोने तक पूरा न काटना। कटे खेत में पड़ी हुयी बालों को मत उठाना। 10 अपने अंगूर के बगीचे का हर-अंगूर मत तोड़ लेना। झड़े हुए अंगूरों को भी मत बटोरना। उन्हें गरीब और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। 11 कोई चोरी न करे। दूसरों के साथ न ही कपट करना, न झूठ बोलना। 12 मेरे नाम की झूठी कसम खा कर मेरा नाम अपवित्र न ठहराना। मैं याहवे परमेश्वर हूँ। 13 किसी पर अन्धेर न करना, न ही लूटना। किसी मजदूर की मज़दूरी को एक रात भी रोककर नहीं रखना। 14 जो सुन नहीं सकता उसे कोसना मत। अँधे के लिए कोई ठोकर मत रखना। 15 इन्साफ़ ईमानदारी से हो। गरीब की तरफ़दारी तो करना ही नहीं साथ ही बड़े मनुष्यों का मुँह देख कर न्याय न करना। सच्चाई से न्याय करना 16 चतुराई से बचना। किसी का खून करने की योजना न बनाना 17 दूसरों के लिए अपने मन में नफ़रत मत रखना। अपने पड़ोसी[a] को डाँटना ज़रूर वरना उस का हिसाब तुम से लिया जाएगा। 18 बदला मत लेना और न ही अपने लोगों से बैर रखना। अपनी तरह दूसरों से भी प्यार करना, मैं याहवे हूँ। 19 मेरे बताए रास्ते पर चलना। अपने जानवरों में से अलग अलग जाति के पशुओं के बीच दो तरह के बीज अपने खेत में मत बोना। सन और ऊन से मिले कपड़े मत पहनना। 20 ऐसी गुलाम महिला जिस की मंगनी किसी आदमी से हो चुकी है और जिसे आज़ाद किया जा चुका है यदि उस से कोई यौन सम्बन्ध करे, तो दोनों को सज़ा मिले। लेकिन उन दोनों को मार नहीं डालना चाहिए। 21 वह आदमी मिलाप वाले तम्बू के दरवाज़े पर दोषबलि के लिए एक मेंढ़ा लाए। 22 पुरोहित उसके किए गए गुनाह के कारण दोषबलि के मेंढ़े के द्वारा उसके लिए प्रायश्चित्त करे। ऐसा करने से गुनाह माफ़ किया जाएगा।

[a] **19.17** गलती करने वाले

23 कनान में पहुँचने पर जो फल के पेड़ तुम
लगाओगे, उनके फल तीन साल तक तुम मत
खाना। 24 चौथे साल में परमेश्वर की स्तुति
के लिए उनके फल पवित्र ठहरें। 25 पाँचवा
साल आने पर फल खा सकते हो, ताकि
तुम्हें और फल मिलें, मैं तुम्हारा परमेश्वर
याहवे हूँ। 26 खून लगा हुआ कोई मांस खाने
से बचना। शुभ-अशुभ मुहूर्तों को न मानना,
न ही टोना करना। 27 सिर में घेरा रखते हुए
मुण्डन न करना न ही गाल के बालों को
कटवाना। 28 मरे हुओं की वजह से अपनी
देह को न चीरना, उसमें कोई छाप भी मत
लगाना, मैं याहवे हूँ। 29 अपनी बेटियों को
वेश्यावृत्ति में मत ढकेलना। ताकि राष्ट्र दुष्ट
न हो जाए। 30 विश्राम दिन को मानना और
मेरे पवित्रस्थान की इज्ज़त करना, मैं याहवे
हूँ। 31 ओझाओं और भूतों से सम्पर्क रखने
वालों की तरफ़ मत जाना इस तरह के लोगों
से मदद चाहने वाले अपने आप को अशुद्ध
कर लेते हैं। 32 बुज़ुर्ग लोगों के सामने बैठे न
रहना। उनकी इज़्जत करना और परमेश्वर
के डर[a] में रहना, मैं याहवे हूँ। 33 जो लोग
दूसरे देश से हैं और साथ रहते है, उन्हें कष्ट
मत देना। 34 वे भी तुम्हारे अपने लोगों की
तरह हों। अपनी तरह उन से भी प्रेम करना।
याद रखना, तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे,
मैं तुम्हारा परमेश्वर याहवे हूँ। 35 इन्साफ़
करने, नाप-तौल आदि के बारे में बेईमानी
न करना। 36 तराजू में गड़बड़ी न हो, बाँट में
कोई हेरा-फेरी न हो, तुम्हें मिस्र की गुलामी
से बाहर निकाल लाने वाला याहवे मैं ही हूँ।
37 इसलिए तुम मेरे सारे निर्देशों का पालन
करना, मैं याहवे हूँ।

20 मूसा से परमेश्वर बोले,
2 "इस्राएलियों के बीच रहने वाला
यदि कोई परदेशी, मोलेक को अपना बच्चा
बलि करता है, तो पत्थरों की मार से उसे
मार डाला जाए। 3 मैं भी उसे इसलिए नाश
करूँगा क्योंकि उसने मेरी पवित्र जगह को
खराब किया और मेरे नाम को अपवित्र
किया। 4 यदि कोई अपने बेटे-बेटी को
मोलेक के प्रति अर्पण करे और लोग उसको
दण्ड देने में लापरवाही करें और न मार
डालें, 5 तो मैं खुद ही उसको और जो मोलेक
के साथ व्यभिचार करते हैं, मार डालूँगा।
6 जो व्यक्ति ओझाओं या भूत साधने वालों
की तरफ़ मुड़ेगा उसको मैं उसको नष्ट
करूँगा। 7 इसलिए स्वयं को पवित्र करो
और बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा याहवे
परमेश्वर हूँ। 8 तुम मेरी कही हुयी बातों के
अनुसार जीना, क्योंकि मैं तुम्हें पवित्र करने
वाला याहवे हूँ। 9 जो कोई अपने माता या
पिता को शाप दे, उसे जीवित न छोड़ना
10 यदि कोई परायी महिला के साथ यौन
सम्बन्ध करे, तो वह और महिला दोनों ही
मार डाले जाएँ। 11 यदि कोई अपनी सौतेली
माँ के साथ सम्भोग कर तो दोनों ही को
मौत की सज़ा। 12 पतोहू के साथ भी ऐसा
करने से दोनों को मौत के घाट उतारा जाए।
13 पुरुष-पुरुष में यौन क्रिया करने वालों को
भी मारा जाए। यह घिनौना काम है। 14 यदि
कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा सास
से भी शारीरिक सम्बन्ध रखे, तो तीनों को
आग में जलाया जाए। 15 यदि पशु के साथ
यौन सम्बन्ध करते कोई पकड़ा जाए तो उन
दोनों को जान से खत्म किया जाए। 16 यदि
कोई औरत किसी जानवर के साथ यौन
सम्बन्ध करे तौभी दोनों को घात किया
जाए। 17 यदि कोई पुरुष अपनी सगी या
सौतेली बहन की नंगी देह देखे या यह

[a] **19.32** आज्ञा

बहन उसकी नंगी देह देखे, तो यह शर्म
की बात है। उन्हें भी अपनी जान से हाथ
धोना पड़ेगा। मैं उन्हें पवित्र करने वाला
परमेश्वर हूँ। 18 यदि कोई आदमी मासिक
धर्म के दौरान किसी औरत के साथ सोए
और उसके शरीर को नंगा करे, तो दोनों को
नष्ट किया जाए। 19 अपनी मौसी या फूफी
की देह पर से कपड़े न हटाना, उन दोनों को
सज़ा मिलेगी। 20 यदि एक पुरुष अपनी
चाची के साथ लेटे, तो वह अपने चाचा की
देह को वस्त्रहीन करने वाला हुआ। दोनों
ही अपनी बुराई का बोझ उठाएँगे। 21 यदि
कोई अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी
बना लेता है तो इस घिनौने काम के कारण
वे बिना सन्तान रहेंगे। 22 समझ के साथ तुम
मेरी बतायी हुयी बातों को मानता, नहीं तो
नया देश भी तुम्हें उगल देगा। 23 जिस देश
के लोगों को मैं वहाँ से निकालने पर हूँ
उनके रस्म-रिवाज़ न अपनाना उनके कुकर्मों
से मुझे नफ़रत है। 24 तुम उनके देश के,
जहाँ सब तरह की सम्पन्नता है, अधिकारी
बन जाओगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर याहवे हूँ
और मैंने तुम्हें दूसरे लोगों से अलग किया
है। 25 इसलिए तुम शुद्ध-अशुद्ध पशुओं
और पक्षियों में अन्तर समझना । अशुद्ध
जीवन-जन्तु से तुम अपने आप को अपवित्र
न करना। 26 मेरे लिए पवित्र जीवन जीना ।
मैंने तुम्हें दूसरों से अलग किया है, ताकि
तुम मेरे ही बने रहो। 27 यदि कोई व्यक्ति
ओझाई या भूत की साधना करे, तो पथराव
करके उन्हें मार डालना।

21 मूसा को परमेश्वर से यह हिदायत
भी मिली "हारून के बेटों को
बताओ कि किसी के मरने पर कोई अपने
आप को अशुद्ध न करे 2 अपने नज़दीकी
रिश्तेदार जैसे माँ, बाप, बेटे, बेटी, भाई के
लिए 3 या खुद की कुँवारी बिन ब्याही बहन,
जिन का नज़दीकी रिश्ता हो उनके लिए वह
खुद को अशुद्ध कर सकता है। 4 पुरोहित[a]
होने की वजह से वह मुख्य व्यक्ति है ।
इसलिए वह अपने को पवित्र रखे। 5 वे सिर
और गाल के बाल न कटवाएँ, न ही देह को
चीरें। 6 अपने परमेश्वर का नाम वे अपवित्र
न करें। वे परमेश्वर की रोटी को जिस
से परमेश्वर तृप्त होते हैं, चढ़ाया करते हैं।
इसलिए उन्हें पवित्र बने रहना चाहिए। 7 वे
अनैतिक सम्बन्ध रखने वाली महिला से या
भ्रष्ट लड़की से विवाह न करें। वे तलाकशुदा
महिला से भी विवाह न करें, क्योंकि पुरोहित
अपने परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ
होता है। 8 इसलिए तुम पुरोहित को अलग
किया हुआ जानना, क्योंकि वह तुम्हारे
परमेश्वर को खाना चढ़ाया करता है। वह
तुम्हारी निगाह में पवित्र ठहरे। मैं याहवे जो
पवित्र हूँ तुम को पवित्र करता हूँ। 9 यदि
पुरोहित की बेटी देह व्यापार में लग जाती
है, वह अपने पिता के लिए शर्म का काम
करती है, उसे जलाया जाना चाहिए। 10 जो
अपने भाईयों में महापुरोहित हो, जिस के
सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो ।
जिस का संस्कार पवित्र कपड़ों को पहनने
के लिए किया गया हो, वह अपने सिर के
बाल बिखरने न दे, न ही अपने कपड़े फाड़े
11 वह किसी शव के पास न जाए। अपने
पिता या माता के कारण भी खुद को अशुद्ध
न करे। 12 वह पवित्र स्थान से बाहर न जाए
और न ही परमेश्वर के पवित्र-स्थान को
अपवित्र ठहराए क्योंकि वह अपने परमेश्वर
के अभिषेक का तेलरूपी ताज पहने हुए है।
मैं याहवे हूँ। 13 वह कुँवारी ही से विवाह करे

[a] **21.4** याजक

14 वह विधवा, तला तलाक शुदा, भ्रष्ट या
यौन व्यापार में लगी महिला से विवाह न
करें। 15 वह अपने बेटे-बेटी को अपने लोगों
में अपवित्र न करें, क्योंकि पवित्र करने वाला
परमेश्वर हूँ। 16 मूसा से फिर याहवे ने कहा,
17 "हारून को बताना कि उसकी पीढ़ी में
जिस किसी को कोई दोष हो, तो वह अपने
परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए निकट
नहीं आए। 18 अँधा, लंगड़ा, नकचपटा या
कोई अंग ज़्यादा हो, ऐसे दोष वाले पास न
आएँ 19 टूटे पाँव या हाथ वाला भी 20 कुबड़ा,
बौना, आँख में दोष, चर्म रोग या खुजली या
जिस के पिचके अण्ड-कोश हों। 21 हारून
पुरोहित के वंश में से जिस किसी को कोई
दोष हो, वह याहवे को हव्य चढ़ाने पास
न आए। दोषयुक्त इन्सान कभी भी चढ़ाने
पास न आए। 22 वह अपने परमेश्वर के
पवित्र और परमपवित्र दोनों तरह के खाने
खाए। 23 लेकिन दोष के कारण न बीच वाले
पर्दे के अन्दर आए न वेदी के पास। ताकि
पवित्रस्थान को अपवित्र करने की सज़ा न
मिले। 24 इसलिए मूसा ने हारून उसके बेटों
और इस्राएलियों को यह सब कह सुनाया।

22 याहवे ने मूसा को निर्देश दिये;
2 "तुम हारून और उसके बेटों को
समझाओ कि इस्त्राली पवित्र की गयी चीज़ों
से जिन्हें वे मेरे लिए अलग करते हैं, दूर रहें।
वे मेरे नाम को अपवित्र न करे। मैं याहवे
हूँ। 3 उन्हें सिखाओ कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन
में से कोई भी अशुद्धता की हालत में पवित्र
वस्तुओं के निकट न जाए, नहीं तो वे नाश
किए जाएँगे। मैं याहवे हूँ। 4 हारून के वंश
में से कोई क्यों न हो, कोढ़ी, प्रमेह रोगी,
शुद्ध किए जाने तक पवित्र की गयी वस्तुएँ
न खाए। जो व्यक्ति मृतक की वजह से या,
जिस का वीर्य निकल गया हो उसे छूने से
या 5 रेंगने वाले किसी जीव से यदि कोई
अशुद्ध हुआ हो। या लगने वाली अशुद्धता
के कारण कोई अशुद्ध हुआ हो। 6 तो जो इन
में से किसी को छुए वह शाम तक अशुद्ध
समझा जाए और जब तक नहा न ले, पवित्र
वस्तुओं में से उपभोग न करे। 7 सूरज डूबने
पर वह शुद्ध ठहरेगा। तभी वह पवित्र चीजें
खा पाएगा। 8 अपनी मौत से मरे पशु और
फाड़े गए पशु को न खाया जाए। 9 पुरोहित
लोग मेरी वस्तुओं की देख-रेख करें। उनको
अपवित्र करने पर वे भुगतेंगे। 10 दूसरे किसी
कुल का व्यक्ति पवित्र वस्तु में से न खाने पाए
11 यदि पुरोहित पैसा देकर कोई वस्तु खरीदे,
तो वह उन में से खा सकता है । पुरोहित
के घर में उत्पन्न लोग भी उसे खा सकते है।
12 यदि पुरोहित की लड़की की शादी किसी
दूसरे कुल के किसी पुरुष से होती है, तो वह
भेंट की हुयी पवित्र वस्तुओं में से न खाए।
13 यदि पुरोहित की बेटी का तलाक हुआ हो
या उस का पति मर गया हो, और सन्तान न
हो और अपने पिता के घर में रही हो, तो वह
पिता के भोजन में हिस्सा लगा सकती है।
उसमें से पराए कुल का व्यक्ति न खाने पाए।
14 यदि कोई इन्सान अनजाने में पवित्र वस्तु
में से खा ले, तो वह उस का पाँचवा भाग
चढ़ाकर पुरोहित को दे। 15 जिन वस्तुओं को
याहवे के लिए चढ़ाया जाए, उन्हें अपवित्र
न किया जाए। 16 वे उनको पवित्र वस्तुएँ
खिला कर उन से अपराध न कराएँ। मैं उनको
पवित्र करने वाला याहवे हूँ। 17 फिर याहवे
ने मूसा से कहा, 18 हारून, उसके बेटों और
इस्राएलियों को समझाओ, कि इस्राएल के
कुटुम्ब या उनके बीच रहने वाले परदेशियों
में से कोई भी क्यों न हो जो मन्नत या स्वेच्छा
बलि करने के लिए याहवे को होमबलि
चढ़ाए, 19 तब अपने लिए ग्रहणयोग्य ठहरने

के लिए बैलों-भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष
नर चढ़ाया जाए। 20 दोष रहित ही चढ़ाना।
दोष वाला स्वीकार न किया जाएगा। 21 जो
व्यक्ति बैलों, भेड़-बकरियों में से खास चीज़
इरादा करता है या स्वेच्छा बलि के लिए
मेलबलि चढ़ाता है तौभी पशु को दोष रहित
होना ज़रूरी है। 22 अँधे, लूले, रसौली या
खुजली ग्रस्त पशु को न चढ़ाना। 23 यदि
किसी पशु का अंग कम या अधिक है उसे
स्वेच्छा बलि के रूप में चढ़ा सकते है ।
मन्नत पूरी करने के लिए वह योग्य न होगा।
24 कुचले, दबे या टूटे अण्डकोश वाले पशु
को मत चढ़ाना। 25 इन में से किसी को
तुम अपने परमेश्वर का भोजन समझ कर
किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाना। उन में
उनका बिगाड़ वर्तमान है। उन में दोष हो,
इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
26 फिर याहवे ने मूसा से कहा, 27 बछड़ा,
बकरी या भेड़ का बच्चा यदि पैदा हो, तो
उसे सात दिन तक उसकी माँ के साथ रहने
देना। आठवें दिन से वह याहवे के हवन के
लिए उपयुक्त होगा। 28 गाय, भेड़ या बकरी
या उसके बच्चे को एक ही दिन में कुर्बान
मत करना। 29 जब धन्यवाद मेलबलि को
याहवे के लिए लाओ, तो इस तरतीब से
सब करना कि वह ग्रहणयोग्य हो। 30 उसी
दिन उसे खाना। प्रातःकाल तक मत रखना।
मैं याहवे हूँ। 31 मेरी आज्ञाओं का पालन
करना, मैं याहवे हूँ। 32 मेरे नाम को अपवित्र
मत ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के मध्य
पवित्र माना जाऊँगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने
वाला परमेश्वर हूँ। 33 मैं तुम्हें मिस्र की
गुलामी से निकाल लाया था । ताकि तुम्हारा
बना रहूँ, मैं याहवे हूँ।

23 मूसा से परमेश्वर बोले,
2 "इस्राएलियों को बताओ कि
याहवे के जिन त्यौहारों का प्रचार तुम्हें
पवित्र सभा इकट्ठा करने के लिए करना
होगा, उन त्यौहारों का वर्णन इस तरह है।
3 छै दिन तो सभी काम करेंगे। सातवें दिन
नहीं करेंगे । वह दिन परम विश्राम और
पवित्र सभा का होगा। उस दिन कोई काम
न किया जाए। सभी के परिवारों में वह
याहवे का विश्राम दिन हो। 4 याहवे के
त्यौहार जिन में से एक एक के ठहराए हुए
समय में तुम्हें विशेष सभा करने के लिए
प्रचार करना है, वे ये हैं। 5 पहले महीने के
चौदहवें दिन को गोधूलि के समय याहवे
का फ़सह मनाया जाए 6 उसी महीने के
पन्द्रहवें दिन को याहवे के लिए अखमीरी
रोटी का त्यौहार मनाया जाए। 7 पहले दिन
तुम्हारी पवित्र सभा हो। उस दिन मेहनत
का कोई काम न किया जाए। 8 सातों दिन
याहवे को हवन चढ़ाना, सातवें दिन पवित्र
सभा करना और उस दिन कोई परिश्रम
का काम न करे। 9 फिर याहवे ने मूसा से
कहा, 10 इस्राएलियों को आदेश दो कि जो
देश तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें देते हैं, उस में
जब फ़सल काटो, तो पहली उपज का पूला
पुरोहित के पास लाया करना। 11 उस पूले
को वह याहवे के सामने हिलाए, कि वह
तुम्हारे लिए स्वीकार किया जाएगा। वह
उसे विश्रामदिन के दूसरे दिन नहीं हिलाए।
12 जिस दिन तुम पूला हिलवाते हो, उसी
दिन एक साल का निर्दोष भेड़ का बच्चा
याहवे के लिए होमबलि करना। 13 उसके
साथ का अन्नबलि एपा के दो दसवें अंश
तेल से सने हुए मैदे का हो। वह दिल खुश
करने वाला हवन परमेश्वर के लिए हो।
उसी के साथ का अर्घ हीन भर का चौथाई
दाखमधु भी हो। 14 जब तक तुम इस चढ़ावे
को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ,

उस दिन तक नए खेत में से न तो रोटी
खाना, न भुना हुआ अनाज और हरी बालें।
पीढ़ी -पीढ़ी तक यह विधि मानी जाए।
15 उस विश्रामदिन के दूसरे दिन से अर्थात्
जिस दिन तुम हिलायी जाने वाली भेंट के
पूलों को ले आकर आओगे, उस दिन से पूरे
सात विश्रामदिन गिनना। 16 सातवें विश्राम
दिन के दूसरे दिन तक पचास दिन गिनना
और पचासवें दिन याहवे के लिए नया
अन्नबलि चढ़ाना। 17 अपने अपने घरों में से
एपा के दो दसवें भाग मैदे की दो रोटियाँ
हिलाने की भेंट के लिए लाना। उन्हें खमीर
के साथ पकाना । वह याहवे के लिए पहली
उपज रहेगी। 18 उस रोटी के साथ एक-एक
साल के सात निर्दोष भेड़ के बच्चे, एक
बछड़ा और दो-दो मेंढ़े चढ़ाना। वे अपने
अपने संग अन्नबलि और अर्घ सहित याहवे
के लिए होमबलि की तरह समान चढ़ाएँ।
वह सन्तुष्ट कर देने वाला सुगन्धित हवन
हो। 19 अपराधबलि के लिए एक बकरा,
मेलबलि के लिए एक-एक साल के दो भेड़
के बच्चे चढ़ाए जाएँ। 20 पुरोहित पहली
उपज की रोटी के साथ हिलाने वाली भेंट
के रूप में हिलाए। इन रोटियाँ के साथ दो
भेड़ के बच्चों को भी हिलाया जाए। वे याहवे
परमेश्वर के लिए पवित्र और पुरोहित का
हिस्सा हों। 21 उसी दिन यह ऐलान करना
कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी और
मेहनत का काम कोई न करेगा। 22 अपने
देश के खेतों की फ़सल जब तुम काटना, तो
खेत के कोनों की पूरी तरह से मत काटना।
गिरी हुयी बालों को भी इकट्ठा मत करना।
उसे गरीब और परदेशी के लिए छोड़ देना।
मैं तुम्हारा परमेश्वर याहवे हूँ। 23 मूसा को
फिर से परमेश्वर ने हिदायत देते हुए कहा,
24 इस्राएलियों को बतलाओ कि सातवें
महीने के पहले दिन को परम विश्राम हो।
25 मेहनत का काम उस दिन कोई न करे
और याहवे के लिए हवन करे। 26 याहवे
ने मूसा को एक और निर्देश देते हुए कहा
27 सातवें महीने के दसवें दिन प्रायश्चित्त का
दिवस मनाना। वही पवित्र सभा का दिन
माना जाएगा। उस दिन तुम अपने आप को
दीन करना और भेंट चढ़ाना 28 कोई काम
भी इन दिन न किया जाए यही प्रायश्चित्त का
दिन होगा। इसी दिन तुम्हारे लिए परमेश्वर
की उपस्थिति में प्रायश्चित्त होगा। 29 जो
व्यक्ति इस दिन दुख न सहना चाहेगा, उसे
नाश किया जाए। 30 जो परिश्रम करेगा, उसे
मैं मार डालूँगा। 31 उस दिन काम-काज
न करना पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे यहाँ यह
नियम बना रहे। 32 वह परम विश्राम का दिन
होगा। अपने आप को न उस दिन दुख देना।
उस महीने के नवें दिन की शाम से लेकर
दूसरी शाम तक अपना विश्राम दिन मानना।
33 फिर याहवे मूसा से बोले, 34 इस्राएलियों
से कहो कि उसी सातवें महीने के पन्द्रहवें
दिन से सात दिन तक याहवे के लिए
झोपड़ियों का त्यौहार मनाएँ। 35 पहले दिन
पवित्र सभा की जाए, उसमें भी मेहनत का
कोई काम न हो। 36 सातों दिन याहवे के
लिए हवन चढ़ाया जाए। आठवें दिन पवित्र
सभा की जाए हव्य भी याहवे के लिए
चढ़ाना। इस महासभा के दिन मेहनत का
कोई काम न करना। 37 याहवे परमेश्वर के
द्वारा निश्चित किए हुए त्यौहार ये हैं। इन में
याहवे को हवन चढ़ाना अर्थात होमबलि,
मेलबलि और अर्घ। सभी अपने समय
-समय पर चढ़ाए जाएँ और पवित्र सभा का
ऐलान किया जाए। 38 सब से ज़्यादा यह
कि विश्राम दिनों को मनाया जाए । अपनी
भेंटों, मन्नतों और इच्छा से दी गयी बलियों

को याहवे को चढ़ाया करना। 39 सातवें
महीने के पन्द्रहवें दिन को जब तुम देश की
फ़सल इकट्ठा कर चुको, सात दिन तक
याहवे का त्यौहार मनाना। 40 पहले दिन
तुम अच्छे-अच्छे पेड़ों की उपज खजूर के
पत्ते, घने पेड़ों की डालियाँ, नालों के मजनू
लेकर याहवे की उपस्थिति में सात दिन तक
आनन्द मनाना। 41 हर साल सात दिन तक
याहवे के लिए यह त्यौहार माना करना। यह
रीति पीढ़ी से पीढ़ी चलती रहे। 42 सात दिन
तक तुम झोपड़ियों में रहना अर्थात् जितने
जन्म से इस्राएली हैं, वे सभी झोपड़ियों में
रहें। 43 यह इस यादगार को बनाए रखने के
लिए है कि तुम्हारी अगली पीढ़ियाँ जानें कि
जब याहवे हम लोगों को मिस्र की गुलामी
से निकाल कर ला रहे थे। तब परमेश्वर
ने उनको झोपड़ियों में रखा था। मैं तुम्हारा
परमेश्वर याहवे हूँ। 44 ये सभी बातें मूसा ने
उनको कह सुनायी।

24 याहवे ने मूसा को आदेश दिया,
2 "ये लोग रोशनी देने के लिए
जैतून को कूटें और उसके निकले तेल का
इस्तेमाल करे। इसी से हर दिन दीपक जलाए
जाएँ 3 मिलाप वाले तम्बू में हारून साक्षीपत्र
के बीच वाले पर्दे से बाहर याहवे के सामने
हर दिन शाम से सुबह से सजा कर रखे।
4 वह दीपकों के साफ़ दीवट पर याहवे के
सामने हर दिन सजाए 5 बारह रोटियाँ मैदे
की पकवाना। हर रोटी में एपा का 2/10
भाग मैदा हो 6 उनकी दो लाईन बना कर
एक लाईन में, छैः छै रोटियाँ साफ़ मेंज़
पर याहवे के सामने लाना 7 एक-एक लाईन
पर शुद्ध लोबान रखना, ताकि वह रोटी पर
याद दिलाने वाली चीज़ और याहवे के लिए
हवन हो 8 हर विश्राम दिन को वह उसे क्रम
से रखे। 9 वह हारून और उसके बेटों का
हिस्सा होगी। वे उसे किसी पवित्र जगह ही
खाएँ । हारून के लिए हमेशा के लिए वह
परम पवित्र वस्तु ठहरी है 10 किसी इस्राएली
का बेटा जिस का पिता मिस्री रहा होगा,
इस्राएली महिला का बेटा और एक इस्राएली
पुरुष छावनी के बीच आपस में मार-पीट
करने लगे। 11 उस इस्राएली महिला[a] का बेटा
याहवे के नाम की निन्दा करके शाप देने
लगा। यह सब सुन कर, लोग उसे मूसा के
पास ले गए। 12 उसे हवालात में रखा गया।
13,14 तब याहवे ने मूसा को यह हुक्म दिया
कि उसे छावनी के बाहर ले जाया जाए।
जिन लोगों ने उसे बेइज़्ज़ती करते सुना था,
वे सभी अपने-अपने हाथ उसके सिर पर
रखें। फिर सभी लोग पत्थर मार कर उसे मार
डालें। 15 तुम इस्राएलियों को बतलाओ कि
जो परमेश्वर को बुरा-भला कहे, उसे उसके
लिए भुगतना पड़ेगा। 16 याहवे के नाम की
निन्दा करने वाला मार ज़रूर डाला जाए।
पूरी मण्डली के लोग उस पर पत्थर मारें।
चाहे देशी हो या परदेशी निन्दक को मार
ही डाला जाए। 17 जो कोई किसी की जान
ले, उसकी भी जान ली जाए। 18 जो घरेलू
जानवर को मार डाले, उसे भरपाई करनी
पड़ेगी। 19 दूसरे को चोट पहुँचाने वाले को
भी चोट पहुँचायी जाए। 20 अंग नष्ट करने
वाले का भी अंग नष्ट किया जाए। आँख
के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत। जैसी
चोट एक व्यक्ति दूसरे को पहुँचाता है वैसी
ही उसे पहुँचायी जाए। 21 जानवर को मार
डालने वाला भरपाई करे, लेकिन मनुष्य को
मार डालने वाला मार डाला जाए। 22 एक ही
कानून का पालन करो - देशी हो या परदेशी,
मैं तुम्हारा याहवे परमेश्वर हूँ। 23 मूसा के

[a] **24.11** शलोमीत

आदेश के आधार पर उन्होंने शाप देने वाले
व्यक्ति को छावनी के बाहर पथराव किया।
25 परमेश्वर ने सीनै पहाड़ पर मूसा
से कहा, 2 "इस्राएलियों को आज्ञा
दो कि प्रतिज्ञा किए देश में दाखिल होने
पर वहाँ भूमि को आराम देना सीखें। 3 छैः
साल तक बोना-काटना करना। छहों साल
अपनी अंगूर की बारी में 4 सातवें साल में
ज़मीन को याहवे के लिए परम विश्राम काल
हो। उस साल न तो बोआई करना, न अंगूर
के बगीचे में छँटाई। 5 काटे हुए खेत में
जो कुछ अपने आप उगे, उसे मत काटना।
तुम्हारी बिना छाँटी हुयी अंगूर की बेल में से
अंगूर मत तोड़ना। 6 ज़मीन के विश्राम काल
ही की फ़सल से तुम को, तुम्हारे गुलामों
और साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों
को खाना मिला करे। 7 तुम्हारे मवेषियों को
और देश में जितने-जितने जीव-जन्तु हो,
सभी को खाना ज़मीन की उपज से मिले।
8 सात विश्राम वर्ष अर्थात सात गुना, सात
वर्ष गिन लेना, सातों विश्राम वर्षों का यह
समय उन्चास वर्ष होगा। 9 सातवें महीने
के दसवें दिन अर्थात् प्रायश्चित्त के दिन,
सारे राष्ट्र में खुशी की आवाज़ के साथ
नरसिंगा फुँकवाना। 10 पचासवें साल को
पवित्र मानना। देश के सभी रहने वालों के
लिए आज़ादी का ऐलान करना। वह साल
तुम्हारे लिए जुबली का साल कहलाए। उसी
साल तुम अपने कुटुम्ब और अपनी ज़मीन
पर लौट सकोगे। 11 पचासवाँ साल जुबली
का साल कहलाएगा। इस साल न बोना, जो
अपने आप उग आए उसे काटना भी नहीं।
बिना छाँटी हुयी अंगूर की लता से अंगूर भी
मत तोड़ना। 12 इस जुबली के साल में तुम
उसकी फ़सल खेत ही में से लेकर खाना।
13 इस साल में तुम अपनी अपनी भूमि पर
लौट जाना। 14 यदि तुमने अपने भाई बन्धु के
हाथ कुछ बेचा था या खरीदा था, तो अन्धेर
मत करना। 15 जुबली के बाद जितने साल
बीत गए हो उनकी गिनती के मुताबिक मूल्य
ठहराकर एक दूसरे से खरीदना। बाकी सालों
की उपज के अनुसार वह तुम्हारे हाथ बेचे।
16 जितने साल और रहें, उतनी ही कीमत
बढ़ाना, जितने साल कम रहें उतना ही कीमत
घटाना। साल की उपज की संख्या जितनी हो
उतनी ही वह तुम्हारे हाथ बेचेगा। 17 अपने
भाई-बन्धु पर अन्धेर मत करना। परमेश्वर
से डरना। मैं तुम्हारा परमेश्वर याहवे हूँ।
18 इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करना।
यदि ऐसा करोगे, तो बहुत समय तक बिना
डर के उस देश में बने रहोगे। 19 ज़मीन उपज
देगी, तुम सन्तुष्ट हो जाओगे। 20 न बोने से हम
सातवें साल में खाएँगे क्या ? यदि तुम्हारा यह
सवाल है। 21 तो यह जान रखो कि छठवें
साल में तुम इतना पा जाओगे, कि फ़सल
तीन साल के लिए काफ़ी होगी। 22 आठवें
साल में तुम बोओगे और पुरानी उपज में से
खाते रहोगे। 23 ज़मीन हमेशा के लिए न बेची
जाए, क्योंकि भूमि मेरी है। तुम उसमें परदेशी
और बाहरी होगे। 24 लेकिन तुम अपने हिस्से
के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेना। 25 यदि
तुम्हारा कोई नातेदार[a] गरीबी की वजह से
कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुम्बियों में से
जो सब से नज़दीकी का हो, वह आकर
अपने नातेदार के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले।
26 यदि किसी इन्सान के लिए कोई छुड़ाने
वाला न हो, और उसके पास इतनी दौलत
हो, कि खुद ही अपने हिस्से को छुड़ा ले,
27 तो वह उसके बिकने के समय से सालों
की गिनती करके बाकी वर्षों की उपज का

[a] 25.25 भाई-बन्धु

मूल्य उसको, जिस ने उसे खरीद लिया हो दे दे । तभी वह अपनी भूमि का हकदार हो सकेगा। 28 लेकिन यदि उसके पास इतना पैसा न हो कि उसे फिर से अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुयी ज़मीन जुबली के वर्ष में छूट जाए। तब वह मनुष्य अपनी ज़मीन का फिर से अधिकारी हो जाएगा। 29 यदि कोई व्यक्ति शहरपनाह वाले नगर में बस जाने के लिए घर बेचे, तो वह बेचने के बाद साल भर में उसे छुड़ा सकेगा । पूरे साल भर उस व्यक्ति को छुड़ाने का हक़ होगा। 30 लेकिन यदि वह साल भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहरपनाह वाले नगर में हो खरीदने वाले का बना रहे। पीढ़ी-पीढ़ी वह उसी के वंश का रहे । वह जुबली के साल में भी न छूटे। 31 परन्तु बिना शहरपनाह के गाँवों के घर तो देश के खेतों की तरह समझ जाएँ । उन्हें छुड़ाया भी जा सकेगा। वे जुबली के साल में आज़ाद हो जाएँ। 32 फिर भी लेवियों के अपने हिस्से के नगरों के जो घर हों उनको लेवीय जब कभी चाहे, छुड़ा लें। 33 यदि कोई लेवीय अपना हिस्सा नहीं छुड़ाता है, तो वह बेचा हुआ घर जो उसके हिस्से के नगर में हो, जुबली के साल में छूट जाए क्योंकि इस्राएलियों के मध्य लेवियों का हिस्सा उनके नगरों में वही घर होंगे। 34 लेकिन उनके नगरों के चारों तरफ़ की चराई की ज़मीन न बेचना क्योंकि वह सदा के लिए उनके हिस्से में होगी। 35 यदि तुम्हारा कोई भाई बन्धु गरीब हो जाए और उसकी हालत तुम्हारी तरह दयनीय हो जाए तो तुम उसे संभालना। परदेशी या मुसाफ़िर की तरह वह तुम्हारे साथ रहे। 36 तुम उस से ब्याज न लेना । परमेश्वर से डरना, ताकि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ ज़िन्दगी निभा सके। 37 ब्याज पर उसे पैसा न देना और न ही किसी फ़ायदे को ध्यान में रख कर उसे खाना देना। 38 मैं तुम्हारा परमेश्वर याहवे हूँ जो तुम्हें मिस्र की दासता से छुड़ा लाया था। 39 यदि कोई तुम्हारा भाई गरीबी की वजह से अपने आप को बेच डाले, तो गुलाम की तरह उस से काम मत लेना। 40 वह तुम्हारे साथ मजदूर या यात्री की तरह रहे। वह जुबली के साल तक तुम्हारे साथ रह कर सेवा करता रहे। 41 इसके बाद वह अपने परिवार सहित तुम्हारे पास से चला जाए और अपने परिवार[a] में और पूर्वजों की भूमि पर लौट जाए। 42 क्योंकि वे मेरे ही दास है, जिन्हें मैं मिस्र में से निकाल लाया था। इसलिए उन्हें गुलाम की तरह न बेचा जाए। 43 क्रूरता पूर्ण व्यवहार उस से मत करना, परमेश्वर के डर में जीना। 44 तुम्हारे गुलाम आस-पास के देशों से हों 45 जो यात्री तुम्हारे बीच परदेशी के रूप में रहेंगे, उन में से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे आस-पास हो, और जो तुम्हारे देश में पैदा हुए हों, उन में से तुम दास और दासी खरीदना। वे तुम्हारा ही हिस्सा होंगे। 46 तुम अपने बेटों को भी जो जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर पाओगे और वे उनका भाग ठहरें। उन में से तुम हमेशा अपने लिए दास लिया करना। लेकिन तुम्हारे भाई-बन्धु जो इस्राएली हों, उन पर सख्ती का व्यवहार न करना। 47 यदि तुम्हारे देखते -देखते कोई अमीर बन जाए और उसके सामने तुम्हारा भाई गरीब हो जाने के कारण अपने आप को उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले। 48 तो उसके बिक जाने के बावजूद उसे छुड़ाया जा सकता है। उसके भाईयों में से कोई भी उसे छुड़ा सकता है। 49 या उस का चाचा, चचेरा भाई या उसके कुल का कोई भी जन उसे छुड़ा सकता है।

[a] **25.41** कुटुम्ब

50 वह अपने खरीदने वालों के साथ अपने
बिकने के साल से जुबली के साल तक
हिसाब करे। उसके बिकने का मूल्य सालों
की गिनती के अनुसार हो अर्थात् वह गुलाम
सालों की गिनती के मुताबिक हो अर्थात्
वह मूल्य दिनों की तरह उसके साथ होगा।
51 यदि जुबली के वर्ष के बहुत साल रह गए
हो, तो जितने दाम में वह मोल लिया गया
हो, उन में से वह छुड़ाने का मूल्य उतने वर्षों
के लिए दे। 52 यदि जुबली के आने में समय
बाकी है, तौभी वह अपने मालिक के साथ
हिसाब करके अपने छुड़ाने की कीमत उतने
ही सालों के अनुसार लौटा दे। 53 वह अपने
मालिक के साथ उस मजदूर की तरह रहे,
जिस की सालाना मज़दूरी ठहरायी जाती हो,
और उस का मालिक उस पर तुम्हारे सामने
सख्ती से रौब न जताने पाए। 54 यदि वह
इन रिवाज़ों से छुड़ाया नहीं जाता है, तो वह
जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों सहित छूट
जाए। 55 क्योंकि इस्राएली मेरे ही सेवक हैं।
मैंने ही उन्हें मिस्र देश से निकाला था। मैं
तुम्हारा परमेश्वर याहवे हूँ।

26 तुम अपने लिए मूर्तियाँ मत बनाना,
न ही खुदी हुयी न लाटें। दण्डवत्
करने के लिए अपने देश में नक्काशीदार
पत्थर मत लगाना। मैं याहवे परमेश्वर हूँ।
2 मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और
पवित्रस्थान का आदर करना मैं याहवे हूँ।
3 यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे 4 तो
मैं तुम्हारे लिए समय पर बारिश भेजूँगा । भूमि
पर फ़सल उगेगी । मैदान के पेड़ फल दिया
करेंगे। 5 जब तुम अंगूर का रस तोड़ते समय
निकालते रहोगे, तभी बीते समय भर पेट
अंगूर तोड़ते रहोगे। तुम मनमानी खाना खाया
करोगे और अपने देश में बेखटके रहोगे।
6 मैं तुम्हारे देश में सुख-चैन प्रदान करूँगा,
निडर तुम सो सकोगे। मैं क्रूर जन्तुओं को
वहाँ अनुमति नहीं दूँगा। हिंसा वहाँ नहीं
होगी। 7 तुम अपने दुश्मनों को भगाओगे,
वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएँगे। 8 तुम
में से पाँच, सौ को और सौ, दस हज़ार
को खदेड़ेंगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मन
तलवार से मारे जाएँगे। 9 मेरी कृपा दृष्टि तुम
पर बनी रहेगी । तुम सम्पन्न होगे और बढ़ते
जाओगे। मैं तुम्हारे साथ बाँधी गयी वाचा को
पूरा करूँगा। 10 अपने पुराने रखे हुए अनाज
को तुम खा सकोगे। नए अनाज के रहते भी
पुराने का इस्तेमाल करोगे। 11 तुम्हारे बीच
मेरी मौजूदगी होगी और मैं तुम से नफ़रत
नहीं करूँगा। 12 मैं तुम्हारे बीच चला-फिरा
करूँगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और
तुम मेरे लोग। 13 मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुम्हें
मिस्र की गुलामी से निकाल लाया था, ताकि
तुम उनकी गुलामी में न रहो। 14 यदि तुम
मेरी बातों को सुनोगे नहीं ओर आज्ञा पालन
नहीं करोगे या 15 मेरे बताए रस्ते को बेकार
समझोगे। यदि तुम्हारी आत्मा मेरे फ़ैसलों से
नफ़रत करे और तुम मेरी सभी आज्ञाओं को
न मानो, और मेरी वाचा को न मानो, और मेरी
वाचा को तोड़ो 16 तो मैं तुम्हें बेचैन करूँगा,
तुम तपेदिक, बुखार के शिकार बन जाओगे।
तुम्हारे आँखें धुंधली हो जाएँगी, मन उदास
रहेगा। तुम्हारा बीज बोना बेकार हो जाएगा,
क्योंकि दुश्मन उसकी उपज खा जाएँगे।
17 मैं भी तुम्हारे खिलाफ़ हो जाऊँगा। तुम्हारे
दुश्मन तुम्हें हरा न देंगे । वे तुम पर अधिकार
करेंगे। जब तुम्हें कोई खदेड़ता भी न होगा,
तुम भागते जाओगे। 18 इन सब के बाद भी
यदि तुम मेरी न सुनोगे, तो मैं तुम्हारे अपराधों
के कारण सात गुना सज़ा दूँगा। 19 तुम्हारी
ताकत का घमण्ड मैं तोड़ दूँगा। आकाश
तुम्हारे लिए लोहे की तरह और ज़मीन पीतल

की बना दूँगा। 20 तुम्हारी ताकत यों ही बेकार
में जाएगी, क्योंकि भूमि उपज न देगी ।
मैदान के पेड़ों में फल न लगेंगे। 21 यदि
तुम मेरे खिलाफ़ जीवन जिओगे, और मेरी
बातों का न मानोगे, तो मैं तुम्हारे अपराधों
के अनुसार तुम्हारे ऊपर सात गुना मुसीबतें
डालूँगा। 22 जंगली जानवरों को तुम्हारे यहाँ
भेजूँगा। वे तुम्हारी नाक में दम कर देंगे ।
तुम्हारे घरेलू जानवरों को वे मार डालेंगे। तुम
संख्या में कम हो जाओगे। तुम्हारी सड़कें
सूनी हो जाएँगी 23 यदि इन बातों के बावजूद
तुम न सुधरे और मेरी खिलाफ़त करते रहे,
24 तो मैं तुम्हारे विरोध में चलूँगा और तुम्हारी
बुराईयों के कारण मैं तुम्हें सात गुना मारूँगा।
25 तुम्हारे खिलाफ़ ऐसी तलवार चलवाऊँगा,
जो वाचा तोड़ने का बदला लेगी। जब तुम
जाकर अपने नगरों में एकत्र होगे, मैं मरी
फैला दूँगा। अपने दुश्मनों के वश में तुम कर
दिए जाओगे 26 जब मैं तुम्हारे लिए अनाज
का सहारा कर दूँगा। तब दस महिलाएँ
तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पका कर तौल
तौल कर बाँट देगा। खाने के बावजूद तुम
सन्तुष्ट नहीं होगे। 27 इसके बाद भी यदि
तुम न सुनोगे 28 तो तुम्हारे गुनाहों के कारण
सात गुना ताड़ना और दूँगा। 29 तुम अपने
बेटे-बेटियों का मांस खाने पर मजबूर हो
जाओगे। 30 तुम्हारी पूजा की ऊँची जगहों को
मैं ढा दूँगा। तुम्हारी सूरज की मूर्तियाँ तोड़
डालूँगा। तुम्हारे शवों को तुम्हारी टूटी मूर्तियों
पर बिखेर दूँगा। मेरी आत्मा को तुम से घृणा
हो जाएगी। 31 मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूँगा
। तुम्हारे पवित्रस्थान को भी उजाड़ कर दूँगा
और तुम्हारी सुखदायक खुशबू स्वीकार नहीं
करूँगा। 32 तुम्हारे देश को सुनसान कर दूँगा।
उसमें रहने वाले तुम्हारे दुश्मन दाँतों तले
उँगली दबा लेंगे। 33 मैं तुम्हें देशों में बिखेर
दूँगा। मेरी तलवार तुम्हारे विरोध में खिंची
रहेगी । तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और नगर
उजड़ जाएँगे। 34 जितने दिन वह देश सुनसान
पड़ा रहेगा, तुम अपने दुश्मनों के देश में
रहोगे। उतने दिन वह अपने विश्राम कालों
को मानता रहेगा, तब ही वह देश चैन पाएगा।
35 जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने दिन
उसको चैन मिलेगा। 36 तुम में से जो शेष रह
जाएँगे और अपने दुश्मनों के देश में होंगे,
मैं उनके मन में कायरता उपजाऊँगा। पत्तों
के खड़कने से भी वे डर कर भाग जाएँगे।
और ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार लेकर
पीछे पड़ा हो। बिना किसी के पीछा किए वे
भागेंगे और गिरेंगे। 37 जब कोई पीछा करने
वाला न भी हो तब भी मानो तलवार के डर से
ठोकर खा कर गिरते जाएँगे। अपने दुश्मनों
का मुकाबला करने के लिए तुम्हारे भीतर
ताकत न होगी। 38 तब देशों में पहुँचाए जाकर
तुम बर्बाद किए जाओगे। तुम्हारे दुश्मनों की
ज़मीन तुम्हें हज़म कर लेगी। 39 बचे हुए लोग
अपनी दुष्टता के कारण अपने शत्रुओं के देश
में गल जाएँगे 40 यदि वे अपने और अपने
पूर्वजों के गुनाहों को मान लेंगे और यह कि
याहवे के विरोध में जीवन जिया है। 41 और
इसी वजह से हमारे विरुद्ध होकर हमें दुश्मनों
के देश में ले आए हैं। यदि उस वक्त उनका
न बदला हुआ मन दब जाएगा और वे अपने
गुनाहों को कबूल कर लेंगे। 42 तब मैं उस
वाचा को याद करूँगा, जो याकूब से मैंने
बाँधी थी। और इस देश को भी याद करूँगा।
43 वह देश उनके बिना सूना रहेगा उनके बिना
सूना रहने के बावजूद अपने विश्राम कालों
को मानता रहेगा। वे लोग अपने अपराधों की
सज़ा को मान लेंगे। इसी वजह से कि उन्होंने
मेरे आदेशों को तोड़ा। वे अपनी आत्मा से
मुझे नहीं चाहते थे। 44 इतना होने पर भी जब

वे अपने दुश्मनों के देश में होंगे, तब मैं उनको
इस तरह नहीं छोड़ दूँगा न ही उन से ऐसी
नफ़रत करूँगा, कि उन्हें बर्बाद कर डालूँ
और अपनी उस वाचा को तोड़ दूँ, जो मैं ने
उन से बान्धी थी। मैं उनका परमेश्वर याहवे
हूँ 45 लेकिन मैं उनकी भलाई के लिए उनके
पूर्वजों से बान्धी वाचा को याद करूँगा। मैं
तो उन्हें दूसरे देशों के लोगों के सामने मिस्र
के बन्धन से छुड़ा कर लाया था, ताकि मैं
उनका परमेश्वर ठहरूँ । मैं याहवे हूँ। 46 जो
जो विधियाँ नियम और व्यवस्था याहवे ने
अपनी तरफ़ से इस्राएलियों के लिए सीनै
पहाड़ पर मूसा के द्वारा दी, ये वही हैं।

27 फिर याहवे ने मूसा से कहा
2 "इस्राएलियों को सिखाओ कि
जब कभी कोई खास इरादा करें, तो जैसे
प्राणी के लिए इरादा करें, वह याहवे का
होगा। 3 यदि वह बीस साल या उस से ज़्यादा
और साठ साल से कम उम्र का पुरुष हो
तो उसके लिए पवित्रस्थान के शेकेल के
मुताबिक पचास शेकेल ठहरे। 4 यदि वह
महिला है तो तीस। 5 यदि उसकी उम्र पाँच
साल या उस से ज़्यादा और बीस साल से
कम की हो, तो लड़के के लिए 20 शेकेल
और लड़की के लिए दस शेकेल हो 6 यदि
उसकी उम्र एक महीने या उस से अधिक और
पाँच साल से कम हो, तो लड़के के लिए पाँच
और लड़की के लिए तीन शेकेल ठहरे। 7 यदि
उसकी उम्र साठ साल की या उस से ज़्यादा
हो और वह पुरुष है, तो उसके लिए पन्द्रह
शेकेल और महिला के लिए दस शेकेल
ठहरे। 8 यदि कोई इतना गरीब है कि पुरोहित
द्वारा ठहराया मूल्य नहीं दे सकता है, तो वह
पुरोहित के सामने मौजूद हो और पुरोहित
निश्चित करे। 9 जो जानवर परमेश्वर को
अर्पित किया जाता है वह पवित्र ठहरता है
10 उसे बदला न जाए, न बुरे के बदले अच्छा
और न अच्छे के बदले बुरा । यदि वह उस
जानवर के बदले दूसरा जानवर दे। 11 जिन
जानवरों में से लोग परमेश्वर को नहीं देते
हैं, यदि ऐसों में से वह है तो पुरोहित के
सामने उसे खड़ा किया जाए। 12 उस जानवर
की खूबियाँ और कमियाँ समझ कर पुरोहित
उसकी कीमत निश्चित करे। 13 यदि प्रण
करने वाला अपना मन बदल दे और छुड़ाना
चाहे, तो पुरोहित द्वारा ठहरायी कीमत में
पाँचवाँ भाग बढ़ा कर दे। 14 जब कोई अपने
घर को परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराने की
मनसा करे तो पुरोहित उसके गुण-अवगुण
दोनों के बारे में सोचे और कीमत आंके । वही
उसकी कीमत होवेगी 15 यदि घर को पवित्र
करने वाला उसे छुड़ाना चाहे, तो जितना
पैसा पुरोहित ने उसकी कीमत ठहरायी हो,
उसमें पाँच भाग और बढ़ाकर दे, तभी वह
घर उस का रहेगा। 16 यदि कोई अपनी ज़मीन
का कोई हिस्सा परमेश्वर के लिए पवित्र
ठहराना चाहता है, तो उसकी कीमत इसके
अनुसार ठहरे, कि उसमें कितना बीज डाला
जाएगा जितनी ज़मीन में होमेर भर जौ बोया
जाए उतनी की कीमत पचास शेकेल हो।
17 यदि वह अपना खेत जुबली के साल ही
में पवित्र ठहराए, तो उस का मूल्य तुम जो
कहो, वही होगा। 18 यदि वह अपना खेत
जुबली वाले साल के पश्चात पवित्र ठहराए,
तो जितने साल दूसरे जुबली के साल के
बाकी रहें, उन्हीं के अनुसार पुरोहित उसके
लिए रकम का हिसाब करे, जितना बने उतना
पुरोहित के कहने से कम हो। 19 यदि खेत
का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे,
तो जो मूल्य पुरोहित ने ठहराया हो, उसमें
वह पाँचवा हिस्सा और बढ़ाकर दे, तब खेत
उसी का रहेगा। 20 यदि वह खेत को छुड़ाना

न चाहे, या उसने उसको किसी दूसरे को
बेचा हो, तो खेत भविष्य में कभी छुड़ाया
न जाए। 21 जब वह खेत जुबली के साल
में छूटे, तब पूरी तरीके से अर्पित किए हुए
खेत के समान याहवे के लिए पवित्र ठहरे
अर्थात् वह पुरोहित की अपनी ज़मीन हो
जाए। 22 यदि कोई अपना मोल लिया हुआ
खेत, जो उसकी अपनी सम्पत्ति न हो, वह
याहवे के लिए पवित्र ठहराए, 23 तो पुरोहित
जुबली के साल तक का हिसाब करके उस
इन्सान के लिए जितना ठहराए उतना ही वह
याहवे के लिए पवित्र जाने और उसी दिन
दे दे। 24 जुबली के साल में वह खेत उसी
के अधिकार में जिस से वह खरीदा गया
हो, फिर आ जाए। कहने का मतलब यह
है कि वह जिस किसी का था, उसी का
हो जाए। 25 जिस चीज की कीमत पुरोहित
ठहराए, उसकी कीमत पवित्रस्थान ही के
शेकेल के हिसाब से हो। बीस गेरा का शेकेल
हो 26 जो घरेलू जानवरों का पहलौठा होने
की वजह से याहवे का है, उसे कोई पवित्र
न ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो, चाहे भेड़ या
बकरी का बच्चा। वह याहवे ही का होगा।
27 लेकिन अगर वह अशुद्ध जानवर का हो तो
उस का पवित्र ठहराने वाला उसके पुरोहित
के निश्चित किए हुए मूल्य के अनुसार उस
का पाँचवा हिस्सा और बढ़ाकर छुड़ा सकता
है। यदि उसे छुड़ाया नहीं जाता है, तो पुरोहित
को ठहराए हुए मूल्य पर बेचा जाए 28 किन्तु
अपनी सभी वस्तुओं में से जो कुछ याहवे
के लिए अर्पण करे, चाहे इन्सान हो चाहे
जानवर, चाहे अपनी ज़मीन या खेत या कोई
अर्पण की हुयी चीज़ - उसे न बेचा जाए और
न ही छुड़ाया जाए। अर्पण की हुयी वस्तु
परमपवित्र ठहरे। 29 मनुष्यों में जो कोई मौत
की सज़ा के लिए दिया जा चुका हो, उसे
मार डाला जाए, छुड़ाया न जाए। 30 ज़मीन
की फ़सल का पूरा दसवाँ भाग, चाहे बीज
का हो चाहे पेड़ का फल, वह याहवे ही का
है। 31 यदि कोई अपने दसवें भाग में से कुछ
छुड़ाना मांगता हो, तो पाँचवाँ हिस्सा बढ़ाए
और फिर छुड़ाए। 32 गाय-बैल, भेड़ बकरियाँ
जो जानवर भी गिनने के लिए लाठी के नीचे
से निकल जाने वाले हैं, उनका दसवाँ भाग
अर्थात् दस पीछे एक-एक जानवर याहवे के
लिए पवित्र हो। 33 उसकी अच्छाईयों और
बुराईयों की न सोचे और न बदले। यदि कोई
उसे बदल भी देता है तो वह और उस का
बदला दोनों ही पवित्र ठहरें। वह कभी भी
छुड़ाया न जाए। 34 सीनै पहाड़ पर मूसा द्वारा
इस्राएलियों को दी गयी आज्ञाएँ यही हैं।

DUSTY SANDALS
All Rights Reserved. www.dustysandals.com